

परिशिष्टियाँ



**परिशिष्ट 3.1**

प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियंता/अधिकासी अभियंता स्तर पर  
ठेकेदारों को पंजीकृत किये जाने में पायी गयी अनियमितताओं का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3)

क्र० सं०	मुद्दा	मद	प्रमुख अभियंता	मुख्य अभियंता	अधीक्षण अभियंता	अधिकासी अभियंता	योग
1	जमानत	कम जमानत स्वीकृत			2		2
		ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमानत को निर्गत प्राधिकरण से सत्यापित न कराना		7	8	159	174
		ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमानत को सम्बन्धित प्राधिकरणों के पक्ष में बन्धक न किया जाना	1	1	2		4
2	हैसियत प्रमाण-पत्र	हैसियत प्रमाण पत्र के सत्यापन पर जिलाधिकारी कार्यालय का मुहर एवं हस्ताक्षर नहीं था	3	6			9
		हैसियत प्रमाण-पत्र का सत्यापन निर्गत प्राधिकारियों से नहीं कराया गया			3		3
		हैसियत प्रमाण-पत्र का सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया गया				185	185
3	चरित्र प्रमाण-पत्र	चरित्र प्रमाण-पत्र के सत्यापन पर जिलाधिकारी कार्यालय का मुहर एवं हस्ताक्षर नहीं था		4			4
		चरित्र प्रमाण-पत्र का सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया गया				162	162
		सभी साझेदारों द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाना			1		1
4	अनुभव प्रमाण-पत्र	अन्य ठेकेदार का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना		10			10
		अनुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन न किया जाना		14	2		16
		अनुभव प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराया जाना				225	225
		पूर्व के पांच कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न न किया जाना			3		3
5	पैन कार्ड	फर्म के नाम से पैन कार्ड को सुनिश्चित नहीं किया गया		6			6
		पैन कार्ड संलग्न नहीं था				21	21
6	समाशोधन/टिन	टिन संलग्न नहीं था				20	20
		व्यापार कर विभाग का समाशोधन प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं था		20	5		25
7	बैलेन्स शीट	ठेकेदार द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ पिछले पांच वर्षों की बैलेन्स शीट उपलब्ध नहीं कराया गया	3	9	5		17
8	साझेदारी/पावर आफ अटार्नी	पार्टनरशिप डीड को उपलब्ध नहीं कराया गया था।		3			3
		पावर आफ अटार्नी संलग्न नहीं था।		3	5		8
9	समय सीमा	मुख्य अभियंता निर्धारित एक महीने के समय में मामलों को प्रमुख अभियंता को अग्रसारित करने में असफल रहे।		4			4

**परिशिष्ट 4.1**

**इण्डियन आयल कारपोरेशन को अग्रिम भुगतान  
(कार्य पर सीधे भारित करना)**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.1)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	खण्ड का नाम	अवधि	धनराशि
1	प्रान्तीय खण्ड, बस्ती	09/2014 से 03/2016	15.64
2	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	03 / 2016	2.00
3	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	03/2015 तथा 03/2016	6.94
4	निर्माण खण्ड, मैनपुरी	03/2012, 03/2013, 03/2014 तथा 03/2015	20.17
5	प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद	03 / 2016	5.08
6	प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	03 / 2015	0.96
7	निर्माण खण्ड-1, बस्ती	03 / 2014	1.50
8	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	10/2014, 02/2015, 10/2015	13.14
9	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	03/2015 तथा 03/2016	2.30
10	प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा	03/2012, 03/2013, 03/2014, 03/2015, 03/2016	20.17
11	प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ	03 / 2012	1.96
12	निर्माण खण्ड-1, लखनऊ	03/2012, 03/2013, 03/2014, 03/2015, 03/2016	18.24
13	निर्माण खण्ड-2, लखनऊ	03/2012, 03/2013, 03/2014, 03/2015, 03/2016	23.15
14	निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर	03/2012, 03/2013, 03/2014, 03/2015, 03/2016	25.41
15	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	03/2015 तथा 03/2016	2.85
16	प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	03 / 2016	8.72
17	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	03 / 2016	11.60
<b>योग</b>			<b>179.83</b>

**परिशिष्ट 4.2**  
**लेबर सेस की कटौतियों का विवरण**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.2)

(₹ लाख में)

खण्ड	बिल में जोड़ना एवं घटाना				ठेकेदार के बिल से की गयी कटौती				सीधे क्रेडिट			
	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत	किए गए कार्य की राशि	लेबर सेस	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत	किए गए कार्य की राशि	लेबर सेस	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत	किए गए कार्य की राशि	लेबर सेस
निर्माण खण्ड-1, लखनऊ	-	-	-	-	5	4,218.82	3,517.88	35.18	-	-	-	-
निर्माण खण्ड-2, लखनऊ	-	-	-	-	5	26,771.61	5,161.98	51.62	-	-	-	-
निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13,936.01	11,179.99	163.09
निर्माण खण्ड-3, झांसी	-	-	-	-	1	2,140.62	2,133.31	21.33	-	-	-	-
निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25,276.51	27,322.44	273.22
निर्माण खण्ड, मैनपुरी	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7,210.73	6,334.16	63.34
निर्माण खण्ड, सहारनपुर	-	-	-	-	2	1,771.09	1,714.81	17.15	2	3,238.82	3,082.33	30.83
निर्माण खण्ड, बदायूँ	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18,586.35	16,815.46	168.15
निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद	-	-	-	-	5	10615.55	10234.37	102.35	-	-	-	-
निर्माण खण्ड-1, आगरा	1	311.99	105.26	0.90	-	-	-	-	5	5,401.85	9,884.83	98.84
निर्माण खण्ड-1, बस्ती	4	6,846.27	5,905.31	29.02	-	-	-	-	3	4,139.92	2,696.97	24.01
निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10,906.66	8,780.65	87.82
निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	4	4,019.39	4,254.94	41.19	2	1,827.34	1,614.75	16.14	-	-	-	-
निर्माण खण्ड-2, आगरा	5	14,068.39	8,457.63	72.43	-	-	-	-	-	-	-	-
निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	3	1,765.64	1,717.79	17.18	-	-	-	-	1	364.11	424.04	4.24
निर्माण खण्ड-3, झांसी	-	-	-	-	3	4,352.87	4,260.11	42.60	-	-	-	-
निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	-	-	-	-	2	1,884.53	2,363.97	23.64	5	4,884.38	4,816.50	48.16
निर्माण खण्ड-भवन, गोरखपुर	1	1,611.28	1,653.17	16.53	-	-	-	-	3	4,835.32	4,240.62	42.41
प्रान्तीय खण्ड, आगरा	5	16,882.16	19,964.16	199.65	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रान्तीय खण्ड, बस्ती	5	12,729.53	8,545.86	85.46	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17,202.11	15,238.51	152.39
प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,472.96	3,587.44	35.87
प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	1	435.30	403.76	4.49	5	7,167.26	6,658.95	66.59	-	-	-	-
प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ	-	-	-	-	6	13,143.95	11,472.96	114.74	-	-	-	-
प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर	-	-	-	-	4	836.40	585.82	5.85	-	-	-	-
प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद	-	-	-	-	5	9,196.06	9,045.97	90.47	-	-	-	-
प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	-	-	-	-	1	946.06	286.15	2.86	4	2,538.59	3,823.27	38.23
प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	1	2,484.20	2,388.58	23.89	4	15,799.08	12,412.69	124.13	-	-	-	-
प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा	3	9,849.97	3,222.87	31.43	2	595.56	523.08	5.23	-	-	-	-
प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17,162.47	9,926.14	99.29
प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	-	-	-	-	4	7,276.65	7,020.61	70.20	1	872.44	841.43	8.41
प्रान्तीय खण्ड, झांसी	-	-	-	-	6	14,060.13	12,772.74	127.72	-	-	-	-
प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12,559.38	12,396.34	123.97
प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	-	-	-	-	4	11,618.71	10,653.18	106.54	2	2,650.28	2,747.64	27.47
<b>महायोग</b>	<b>33</b>	<b>71,004.12</b>	<b>56,619.33</b>	<b>522.17</b>	<b>66</b>	<b>1,34,222.29</b>	<b>1,02,433.33</b>	<b>1,024.34</b>	<b>77</b>	<b>1,58,238.89</b>	<b>1,44,138.76</b>	<b>1,489.74</b>

**परिशिष्ट 4.3**

**दर-अनुसूची में समान मद के लिए विभिन्न दरें**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.3.1)

2011-12

(₹ में)

सामग्री का नाम	जनपद का नाम (दर प्रति घनमीटर)	
	आगरा	मैनपुरी
स्टोन बैलास्ट (घाटा बकोली क्वैरी हैण्ड ब्रोकेन) 45-90 एमएम नाप	300	200
क्रसड स्टोन बैलास्ट (खेरा ठाकुर) 45-63 एमएम नाप	500	415
क्रसड स्टोन बैलास्ट (खेरा ठाकुर) 22.4-53 एमएम नाप	600	500
क्रसड स्टोन बैलास्ट (खेरा ठाकुर) 2.36 एमएम नाप	400	320

2012-13

(₹ में)

सामग्री का नाम	जनपद का नाम (दर प्रति घनमीटर)	
	बरेली	आगरा
क्रसड स्टोन बैलास्ट एवं ग्रेट (क्रेशर पर) बरेली बागेश्वर मार्ग 93 किलोमीटर में		
स्टोन बैलास्ट 45-90 एमएम नाप	735	520
स्टोन बैलास्ट 45-63 एमएम नाप	735	555
स्टोन बैलास्ट 22.4-53 एमएम नाप	735	585
स्टोन ग्रेट की सभी साइज	800	700
क्रसड स्टोन बैलास्ट 2.36 एमएम एवं नीचे की नाप	960	700
स्टोन बोल्डर 5-20 किग्रा भार	440	450

2014-15

(₹ में)

साग्री का नाम	जनपद का नाम (दर प्रति घनमीटर)	
	आगरा	मैनपुरी
स्टोन बैलास्ट (खेरा ठाकुर क्वैरी) 45-90 एमएम नाप	525	400
क्रसड स्टोन बैलास्ट (घाटरी क्वैरी) 45-63 एमएम नाप	600	500
22.4-53 एमएम नाप	700	600
स्टोन बैलास्ट 40 एमएम नाप	850	750
क्रसड स्टोन बैलास्ट 2.36 एमएम एवं नीचे की नाप	600	500
क्रसड स्टोन ग्रेट (घाटरी क्वैरी)		
नान-बिटुमिनस कार्य हेतु		
13.20 एमएम नाप	825	725
11.20 एमएम नाप	815	715
6.7 एमएम एवं कम नाप	800	700
स्टोन बोल्डर (खेरा ठाकुर क्वैरी)		
25-40 किग्रा	450	325
40-60 किग्रा	470	340
स्टोन ब्रिक ड्रेसड	5 प्रति	4.25 प्रति

2015-16

(₹ में)

सामग्री का नाम	जनपद का नाम (दर प्रति घनमीटर)	
	आगरा	मैनपुरी
क्रस्ड स्टोन बैलास्ट (घाटरी क्वैरी)		
स्टोन बैलास्ट 45-63 एमएम नाप	625	600
स्टोन बैलास्ट 22.4-53 एमएम नाप	725	700
स्टोन बैलास्ट 40 एमएम नाप	875	850
क्रस्ड स्टोन डस्ट 2.36 एमएम एवं नीचे की नाप	625	600
क्रस्ड स्टोन ग्रेट (घाटरी क्वैरी)		
नान-बिटुमिनस कार्य हेतु		
13.20 एमएम नाप	850	825
11.20 एमएम नाप	840	815
6.7 एमएम एवं कम नाप	825	800

सामग्री का नाम (हरिद्वार क्वैरी)	जनपद का नाम (दर प्रति घनमीटर)	
	बुलन्दशहर	सम्भल / मुरादाबाद
क्रस्ड स्टोन बैलास्ट 45-90 एमएम नाप	559	650
क्रस्ड स्टोन बैलास्ट 45-63 एमएम नाप	607	700
क्रस्ड स्टोन बैलास्ट 22.4-53 एमएम नाप	655	750
क्रस्ड स्टोन बैलास्ट 20-40 एमएम नाप	559	750
सभी साइज की स्टोन ग्रेट	847	900
क्रस्ड स्टोन बैलास्ट 2.36 एमएम एवं नीचे की नाप	847	900

**परिशिष्ट 5.1**  
**अपर्याप्त यातायात गणना**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.1.2)

क्र० सं०	खण्ड	वर्ष	कार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि	प्रशासनिक अनुमोदन की धनराशि	तकनीकी अनुमोदन की तिथि	तकनीकी अनुमोदन की धनराशि	गणना के दिनों की संख्या
1	प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा	2012-13	बाबागंज रेहरा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	04.01.2013	237.62	23.02.2013	237.62	3
2	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	2011-12	रामजानकी मार्ग एनएच-72 के 136 से 151 किमी का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	23.05.2011	2,891.98	05.09.2011	2,891.98	3
3	प्रान्तीय खण्ड, हापुड	2012-13	मसूरी धौलना गुलावटी सड़क के 1 से 27.200 किमी का सुदृढीकरण	12.10.2012	3,712.92	22.10.2012	3,712.92	5
4	प्रान्तीय खण्ड, झांसी	2013-14	एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर (एमडीआर-31) के 01 से 71(180) किमी तक का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण	10.01.2014	10,220	28.01.2014	10,220	3
5	प्रान्तीय खण्ड, झांसी	2015-16	मुख्य शहरी मार्ग शिवपुरी बाईपास से डिवीजनल कमाण्डेंट होमगार्ड कार्यालय वाया बधवा पेट्रोल पम्प झांसी (ओडीआर) के आंशिक भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	25.08.2015	1,879.54	16.09.2015	1,879.54	3
6	प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	2013-14	जिला मुख्यालयों को चार लेन से जोड़ने की योजना के तहत सम्भल मुख्यालय को जोड़ने हेतु मुरादाबाद-सम्भल सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य, 35.71 किमी0 लम्बाई	04.07.2013	13,632.92	08.08.2013	13,632.9	3
7	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	2015-16	बिटुर-चकलवंशी सड़क के पास गंगा नदी के पुल के पहुँच, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	30.06.2015	2,136.12	13.08.2015	2,136.12	4
8	निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद	2013-14	मुरादाबाद-सम्भल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (एमडीआर-69 डब्ल्यू) (13-14)	04.07.2013	7,666.66	08.08.2013	7,666.66	3
9	प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	2012-13	कलुखेडा-कांथा-मुसन्ना मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	07.02.2013	3,096.31	13.03.2013	3,096.31	3
10	प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	2012-13	बिक्रमपुर-ऊँचगांव मार्ग (ओडीआर) सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (12-13)	29.03.2013	3,528.82	18.05.2013	3,528.82	3
11	प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	2014-15	उन्नाव-कानपुर (एसएच-58) (14-15) को चार लेन तथा साईकिल ट्रैक/सर्विस सड़क का निर्माण	24.03.2015	10,269.92	27.03.2015	10,269.92	3
12	प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	2015-16	बिहार-भगवंतनगर-बक्सर (बीबीबी) (एमडीआर-60) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (15-16)	18.03.2016	4,028.28	22.03.2016	4,028.28	3



## परिशिष्ट 5.2

### इण्डियन रोड कांग्रेस मानक के सापेक्ष अधिक प्रावधान

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.2.1)

1. शासन ने (दिसम्बर 2003) सड़कों को चौड़ा करने की नीति घोषित करते हुए आदेश दिया कि 5,000 से कम पीसीयू वाले मार्ग एकल लेन का होगा। प्रमुख अभियंता ने निर्देश दिया (अक्टूबर 2007) कि 5,000 से 10,000 तक पीसीयू वाले सड़कों को इन्टरमीडिएट लेन (5.50 मीटर) तक चौड़ा किया जायेगा।

प्रान्तीय खण्ड, हापुड़ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि खण्ड द्वारा एक ग्रामीण सड़क<sup>1</sup> अनुबंध संख्या 29/एस0ई0/15-16 ₹ 4.39 करोड़ के द्वारा तीन मीटर से 5.50 मीटर चौड़ा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मार्ग की पीसीयू मात्र 2,675 थी। अतएव, यह मार्ग मात्र 3.75 मीटर तक ही चौड़ीकरण किया जाना था। इस प्रकार, शासन एवं प्रमुख अभियंता के आदेशों के विरुद्ध चौड़ीकरण की अनियमित संस्वीकृति के कारण, खण्ड ने अप्रैल 2016 तक ₹ 74.45 लाख का परिहार्य व्यय किया गया, जो कार्य की प्रगति के साथ और बढ़ेगा।

2. निर्माण खण्ड-1 (टीटीजेड) आगरा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि शासन ने राज्य राजमार्ग-2 से राज्य राजमार्ग-3 (24.100 किलोमीटर) को जोड़ने वाली दक्षिणी बाईपास सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण करने हेतु ₹ 44.01 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (दिसम्बर 2012) प्रदान की गयी थी। सड़क की नान-बिटुमिनस क्रस्ट थिकनेस 38 सेमी थी। इस कार्य हेतु ₹ 36.94 करोड़ का एक अनुबंध<sup>2</sup> गठित किया गया था।

आईआरसी: 37-2012 के अनुसार, 6 सीबीआर और 50 एमएसए के लिए 26 सेन्टीमीटर जीएसबी, 25 सेन्टीमीटर डब्ल्यूएमएम, 11 सेन्टीमीटर डीबीएम और 4 सेन्टीमीटर बीसी का प्रावधान किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस सड़क का सीबीआर एवं एमएसए क्रमशः 5.4 एवं 35.2 था, किन्तु खण्ड ने 15 सेमी जीएसबी, 23 सेमी डब्ल्यूएमएम, 10 सेमी बीएम, 15 सेन्टीमीटर डीबीएम और 4 सेन्टीमीटर बीसी हेतु प्रावधान प्रस्तावित किया था जिसे शासन ने संस्वीकृति प्रदान कर दी थी, जिसके अनुसार खण्ड द्वारा कार्य कराया गया था। इस प्रकार, जीएसबी, डब्ल्यूएमएम, बीएम, डीबीएम और बीसी के अवांछित प्रावधान एवं निष्पादन के परिणामस्वरूप, ₹ 2.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्नवत था:

मद	निष्पादन (घनमी)	दर (₹)	धनराशि (₹)	आईआरसी 37 के अनुसार प्रावधान				दर (₹)	धनराशि (₹)
				लं०	चौ०	ऊँ०	योग (घनमी)		
जीएसबी	3,508.99	1,800	63,16,182.00	3,215	3.3	0.26	2,758.47	1,800	49,65,246
डब्ल्यूएमएम	4,112.22	1,950	80,18,829.00	3,215	3.3	0.25	2,652.37	1,950	51,72,131.25
बीएम	1,733.50	6,500	1,12,67,750.00	0	0	0	0	0	0
डीबीएम 3,215*3*0.15	1,446.75	7,700	1,11,39,975.00	3,215	3	0.11	1,060.95	7,700	81,69,315
बीसी 3,215*3*.04	385.80	8,800	33,95,040.00	3,215	3	0.04	385.80	8,800	33,95,040
			4,01,37,776.00 (अ)						2,17,01,732.25 (ब)
									(अ)-(ब) = ₹ 1,84,36,043.75 जोड़िए 27.8% प्रीमिएम + ₹ 51,25,220.16 = ₹ 2,35,61,263.91 अर्थात् ₹ 2.36 करोड़

3. प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ के लेखाभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि शासन ने पीलीभीत-बरेली-बदायूँ-भरतपुर मार्ग (राज्य राजमार्ग-33) (लम्बाई: 38.800 किलोमीटर) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 54.71 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जून 2013) प्रदान की थी।

<sup>1</sup> पिलखुआ से शामली रोड।

<sup>2</sup> मेसर्स संतोष कुमार शर्मा से अनुबंध संख्या 15/एसई/12-13।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल लम्बाई 38.800 किमी में से 36 किलोमीटर लम्बाई में सड़क 7 मीटर और शेष भाग 2.800 किमी (उझानी कस्बा) मात्र 3.70 मीटर चौड़ी थी जिसे 7 मीटर चौड़ा किया जाना था और मार्ग की पूर्ण लम्बाई में सुदृढीकरण किया जाना था। सड़क की वर्तमान क्रस्ट एसडीबीसी सहित 360 मिलीमीटर थी सिवाय उझानी कस्बा के जो मात्र 200 मिलीमीटर थी। स्वीकृति में सम्पूर्ण 36 किमी में वर्तमान क्रस्ट के साथ 100 एमएम डीबीएम और 40 एमएम बीसी के साथ कुल 500 एमएम का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान आईआरसी-37 के विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था क्योंकि आईआरसी-37 के अनुसार किसी भी क्रस्ट संरचना में 300 एमएम मोटी ग्रेनुअल क्रस्ट के ऊपर 200 एमएम मोटी बिटुमिन्स क्रस्ट का प्रावधान नहीं किया गया था। दूसरे, आगणन के साथ संलग्न बीबीडीटी टेस्ट रिपोर्ट प्रमाणिक नहीं थी क्योंकि 10 मीटर के अंतराल पर टेस्ट की आवृत्ति सम्भव नहीं थी क्योंकि प्रारम्भिक, मध्यवर्ती और अंतिम रीडिंग के लिए न्यूनतम 11.7 मीटर की आवश्यकता थी, साथ ही एक ही दिन में किए गए जांचों की संख्या से यह सम्भव प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त, आवश्यक ओवर-ले को ज्ञात करने हेतु एमएसए को प्रमाणित करने हेतु कोई अधिकृत यातायात गणना की रिपोर्ट संलग्न नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 2.800 किलोमीटर लम्बाई में, 200 मिलीमीटर ग्रेनुअल क्रस्ट मौजूदा भाग में तथा 400 मिलीमीटर चौड़ीकृत भाग में तथा 50 मिलीमीटर डीबीएम और 40 मिलीमीटर बीसी का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, इस भाग में 400 मिलीमीटर ग्रेनुअल क्रस्ट के ऊपर 90 मिलीमीटर बिटुमिन्स क्रस्ट का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, खण्ड ने यदि वर्तमान क्रस्ट से बिटुमिन्स सतह को स्क्रेप करने के पश्चात पर्याप्त ग्रेनुअल क्रस्ट हेतु 150 मिलीमीटर डब्ल्यूएमएम तथा उस पर 60 मिलीमीटर डीबीएम और 40 मिलीमीटर बीसी का प्रावधान किया होता तो कुल डिजाइन क्रस्ट आईआरसी की विशिष्टियों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 2.97 करोड़ बचाया जा सकता था:

**निष्पादन का विवरण**

मद	निष्पादित मात्रा	दर	धनराशि (₹ में)
उखाड़ी गयी वर्तमान सतह	9,250 वर्गमीटर	3.80	35,150.00
डीबीएम 100 एमएम	27,497.72 घनमीटर	9,658.20	26,55,78,479.30
बीसी 40 एमएम	11,188.38 घनमीटर	11,784.50	13,18,49,464.11
		योग	39,74,63,093.41
		प्रीमियम 1.09 %	43,32,347.71
		सकल योग (अ)	40,17,95,441.12

**सुझाव दिए गए निष्पादन का विवरण**

मद	आवश्यक मात्रा	दर	धनराशि (₹ में)
उखाड़ी गयी वर्तमान सतह	3,6000*7 = 2,52,000 वर्गमीटर	19.00	47,88,000.00
डब्ल्यूएमएम 150 एमएम	36,000*7*0.150 = 37,800 घनमीटर	2,368.40	8,95,25,520.00
10 प्रतिशत अनड्रुलेशन	3,780 घनमीटर	2,368.40	89,52,552.00
डीबीएम 60 एमएम	36,000*7*0.06 = 15,120 घनमीटर	9,658.20	14,60,31,984.00
बीसी 40 एमएम	36,000*7*0.04 = 10,080 घनमीटर	11,784.50	11,87,87,760.00
		योग	36,80,85,816.00
		प्रीमियम 1.09 %	40,12,135.39
		सकल योग (ब)	37,20,97,951.39
परिहार्य व्यय		(अ-ब)	2,96,97,489.72
अर्थात्			<b>296.97 लाख</b>

4. प्रमुख अभियन्ता ने निर्देशित (अक्टूबर 2007) किया था कि विभिन्न श्रेणी की सड़कों को उसकी वर्तमान पैसेन्जर कार यूनिट (पीसीयू) के अनुसार चौड़ा किया जाये। तदनुसार, यदि इण्टरमीडिएट लेन (5.50 मी0) की सड़कों की पीसीयू 10,000 से अधिक हो तो उनको दो लेन (7 मीटर) चौड़ा किया जाना था।

प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2016) में पाया गया कि शासन द्वारा दोराहा-दिलारी-करनपुर-सुरजनगर-जासपुर मार्ग जो अन्य जिला मार्ग (ओ0डी0आर0) श्रेणी की थी, के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 17.70 करोड़ की प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, मुरादाबाद क्षेत्र द्वारा समान धनराशि

की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी (जनवरी 2013)। अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद वृत्त द्वारा कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध<sup>3</sup> का गठन किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सड़क की कुल लम्बाई 40.500 किलोमीटर थी तथा 0.00 किलोमीटर से 17.00 किलोमीटर तक सड़क को दो लेन (7 मीटर) में चौड़ा किया जाना था। जबकि, कुल लम्बाई 40.500 किलोमीटर के सापेक्ष मात्र 17.00 किलोमीटर तक की लम्बाई को चयनित किए जाने के संदर्भ में आगणन में कोई विशेष कारण अंकित नहीं था। इसके अतिरिक्त, मार्ग को दो लेन चौड़ा किए जाने हेतु अनिवार्य यातायात की गणना नहीं की गयी थी। अतः मार्ग को दो लेन चौड़ा और वह भी मात्र 17.00 किलोमीटर में करने का निर्णय प्रमुख अभियंता के निर्देशों के विरुद्ध था, जो न्यायोचित नहीं था। इसके अलावा, विस्तृत आगणन में एमएसए<sup>4</sup> की गणना से सम्बन्धित कोई वास्तविक डाटा संलग्न नहीं था जो आवश्यक ओवर ले की गणना हेतु महत्वपूर्ण घटक था।

इस प्रकार, यातायात गणना एवं एमएसए से सम्बन्धित आवश्यक आंकड़ों के अभाव में इस सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की स्वीकृति मानक के विरुद्ध तथा अनुचित थी। अतः सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण पर ₹ 15.76 करोड़ का अनुचित व्यय करते हुए अनुबंध का अंतिमीकरण<sup>5</sup> कर दिया गया (मार्च 2016)।

5. निर्माण खण्ड-1 तथा निर्माण खण्ड-2, आगरा के लेखाभिलेखों की जांच (मई 2016) में पाया गया कि शासन द्वारा आगरा-शमशाबाद को चार लेन में चौड़ीकरण करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 103.27 करोड़ की प्रदान की गयी थी (मार्च 2013)। मुख्य अभियंता, आगरा क्षेत्र, आगरा ने मार्च 2013 को समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। अधीक्षण अभियंता, आगरा वृत्त ने एक अनुबंध (51 एसई दिनांक 30.03.2013) मेसर्स, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, आगरा से ₹ 89.30 करोड़ की धनराशि का गठित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्ग की वर्तमान क्रस्ट 63 सेन्टीमीटर थी। क्रस्ट डिजाइन (आईआरसी-37-2001) के अनुसार सड़क की आवश्यक कुल क्रस्ट 71.04 सेन्टीमीटर थी। स्वीकृत आगणन के अनुसार, आवश्यक क्रस्ट को प्राप्त करने हेतु मार्ग के चौड़ीकृत भाग में 25 सेन्टीमीटर जीएसबी, 30 सेन्टीमीटर डब्ल्यूएमएम और 7.50 सेन्टीमीटर बीएम तथा सुदृढीकरण भाग में 7.50 सेन्टीमीटर डीबीएम तथा 4.00 सेन्टीमीटर बीसी का प्रावधान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, संवीक्षा में पाया गया कि मार्ग की कुल आवश्यक क्रस्ट 71.04 सेन्टीमीटर थी तथा मार्ग की वर्तमान क्रस्ट 63.00 सेन्टीमीटर थी। इस प्रकार, वर्तमान क्रस्ट 63.00 सेन्टीमीटर के ऊपर 5.00 सेन्टीमीटर डीबीएम एवं 4.00 सेन्टीमीटर बीसी की लेयर डाल कर सुदृढीकरण हेतु आवश्यक 71.04 सेन्टीमीटर क्रस्ट प्राप्त की जा सकती थी। अतः विस्तृत आगणन में 2.50 सेन्टीमीटर डीबीएम का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था और उसके अनुसार कार्य निष्पादित कराया गया था। जिसके कारण निम्नानुसार ₹ 8.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया:

**भाग-अ:** चैनेज 4.650 से 17.000 में डीबीएम का प्रावधान किया गया

सुदृढीकरण में -  $2 \times 11,650 \times 7 \times 0.075 = 12,232.50$  घनमीटर

जोड़िए 1.5 प्रतिशत कर्व एवं जंक्शनों में सुधार हेतु - 183.49 घनमीटर

योग  $12,232.50 + 183.49$  घनमीटर = 12,415.99 घनमीटर

**भाग-ब:** चैनेज 17.000 से 30.250 में डीबीएम का प्रावधान किया गया

सुदृढीकरण में -  $2 \times 12,600 \times 7 \times 0.075 = 13,230$  घनमीटर

जोड़िए 1.5 प्रतिशत कर्व एवं जंक्शनों में सुधार हेतु - 198.45 घनमीटर

योग -  $13,230 + 198.45$  घनमीटर = 13,428.45 घनमीटर

I) विस्तृत आगणन के अनुसार डीबीएम की कुल मात्रा (अ+ब) =  $12,415.99 + 13,428.45 = 25,844.44$  घनमीटर

II) अनुबंध के अनुसार डीबीएम की कुल मात्रा = 25,844 घनमीटर

भाग- (अ) में निष्पादित मात्रा (निर्माण खण्ड-1): 13,190.238 घनमीटर

भाग- (ब) में निष्पादित मात्रा (निर्माण खण्ड-2): 12,262.555 घनमीटर

III) कुल निष्पादित मात्रा =  $13,190.238 + 12,262.555 = 25,452.793$  घनमी (7.5 सेमी डीबीएम)

IV) अतिरिक्त निष्पादित मात्रा =  $25,452.793 / 3 = 8,484.26$  घनमीटर (2.5 सेन्टीमीटर डीबीएम)

V) अतिरिक्त व्यय =  $8,484.26$  घनमीटर x ₹ 8,720 = ₹ 7,39,82,747.00

जोड़िए प्रीमियम 13.60 % ऊपर = ₹ 1,00,61,654.00

**कुल अतिरिक्त व्यय = ₹ 7,39,82,747 + ₹ 1,00,61,654 = ₹ 8,40,44,401.00 अर्थात् ₹ 8.40 करोड़**

6. निर्माण खण्ड-1, उन्नाव के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि संडीला-रसूलाबाद-चकलवंशी (मुख्य जिला मार्ग-31) के किमी 20 से 30 के बीच सड़क के पुनर्निर्माण के लिए शासन द्वारा ₹ 18.67 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय

<sup>3</sup> मेसर्स रायल कन्स्ट्रक्शन एवं डेवेलपरक, अनु0सं0 14/अधी0अभि0-मु0वृ0/12-13 दिनांक 12.02.2013 धनराशि ₹ 16,13,55,185.16 प्रीमियम @ 11.10 प्रतिशत, कार्य प्रारम्भ दिनांक 12.02.2013 और कार्य समाप्ति की शिड्यूल दिनांक 11.02.2014।

<sup>4</sup> मिलीयन स्टैण्डर्ड एक्सेल।

<sup>5</sup> वाउचर संख्या 311 दिनांक 31.03.2016 के द्वारा 15वें अन्तिम बिल का भुगतान।

स्वीकृति (अगस्त 2010) प्रदान की गयी थी, तथा मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र, लखनऊ द्वारा समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति सितम्बर 2010 को प्रदान की गयी। अधीक्षण अभियंता, उन्नाव वृत्त द्वारा मेसर्स अरुण कन्स्ट्रक्शन, उन्नाव से ₹ 16.15 करोड़ का अनुबंध (56 एसई दिनांक 03.02.2011) गठित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्ग की वर्तमान क्रस्ट 7.50 सेन्टीमीटर तथा चौड़ाई 3.75 मीटर थी, जिस पर पीसीयू और सीवीपीडी क्रमशः 18889 और 3290 थी। आईआरसी-37 की विशिष्टियों के अनुसार सीबीआर वैल्यू 3.9 पर कुल आवश्यक क्रस्ट 70.50 सेन्टीमीटर डिजाइन की गयी थी, और इस 70.50 सेन्टीमीटर क्रस्ट को प्राप्त करने हेतु प्रथम लेयर 15.00 सेन्टीमीटर की जीएसबी (7.50 सेन्टीमीटर मोटी लेयर वहाँ जहाँ वर्तमान क्रस्ट 7.50 सेन्टीमीटर थी), दूसरी लेयर 18.00 सेन्टीमीटर जीएसबी 7 मीटर चौड़ाई में तथा डब्ल्यूएमएम, डीबीएम और बीसी क्रमशः 26 सेन्टीमीटर, 7.50 सेन्टीमीटर और 4.00 सेन्टीमीटर का प्रावधान किया गया।

इसके अतिरिक्त, जांच में पाया गया कि मार्ग परिलेख (मार्ग इतिहास रजिस्टर) के अनुसार मार्ग की वर्तमान क्रस्ट 16 से 20 सेन्टीमीटर के बीच थी, जबकि क्रस्ट का प्रस्ताव वर्तमान क्रस्ट 7.50 सेन्टीमीटर मानते हुए किया गया था। यह भी पाया गया कि जीएसबी की पहली लेयर 9 मीटर चौड़ाई में प्रावधान किया गया था जो कि 7 मीटर चौड़ी मार्ग पर 7.30 मीटर चौड़ाई में किया जा सकता था। इस प्रकार, कम वर्तमान क्रस्ट लेने एवं अधिक चौड़ाई में लेयर का प्रावधान एवं निष्पादन के परिणामस्वरूप निम्नानुसार अधिक एवं संदिग्ध व्यय किया गया:

**वास्तविक वर्तमान क्रस्ट से कम क्रस्ट लेने के कारण ₹ 1.23 करोड़ का अधिक्य व्यय**

अ) विस्तृत आगणन के अनुसार जीएसबी की मात्रा - 24,332 घनमीटर
ब) जीएसबी की निष्पादित मात्रा - 23,873.33 घनमीटर
स) मौजूदा वर्तमान क्रस्ट 15 सेमी लेने पर जीएसबी की मात्रा होती चौड़ीकृत भाग में : $10,000 \times 2 \times 1.80 \times 0.15 = 5,400$ घनमीटर
सड़क के पूर्ण चौड़ाई में : $10,000 \times 7 \times 0.18 = 12,600$ घनमीटर
योग : $5,400 + 12,600 = 18,000$ घनमीटर
अतिरिक्त मात्रा (ब-स) $23,873.33 - 18,000 = 5,873.33$ घनमीटर
द) अतिरिक्त व्यय - $5,873.33$ घनमीटर $\times 2,152 = ₹ 1,26,38,696.00$
य) घटाएँ अनुबन्ध का प्रीमियम 2.4 प्रतिशत कम = ₹ 3,03,328.70
र) शुद्ध अतिरिक्त व्यय = ₹ 1,23,35,367 अर्थात् ₹ 1.23 करोड़

7. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-1, उन्नाव के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2016) में पाया गया कि शासन द्वारा सण्डीला-बांगरमऊ सड़क (अन्य जिला मार्ग) के किलोमीटर 20 से 35 (600) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 21.22 करोड़ की प्रदान की गयी थी (जून 2011)। मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र, लखनऊ ने समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी (जून 2011)। अधीक्षण अभियंता, उन्नाव वृत्त ने जून 2011 में मेसर्स, महाकालेश्वर कन्स्ट्रक्शन से एक अनुबंध<sup>6</sup> गठित किया गया।

विस्तृत आगणन के अनुसार, मार्ग की वर्तमान मौजूदा चौड़ाई 3.20 मीटर एवं औसत क्रस्ट 10 सेन्टीमीटर थी। पीसीयू 10332, सीवीपीडी 653 और 4 प्रतिशत सीबीआर पर आईआरसी-37 के अनुसार 48 सेमी क्रस्ट की आवश्यकता थी जिसके लिए 10 सेन्टीमीटर डब्ल्यूबीएम-1, 15 सेन्टीमीटर डब्ल्यूबीएम-2, 15 सेन्टीमीटर डब्ल्यूबीएम-3, 5 सेमी बीएम और 2.5 सेन्टीमीटर एसडीबीसी का प्रावधान किया गया था।

संवीक्षा में पाया गया कि मार्ग परिलेख के अनुसार सड़क की मौजूदा वर्तमान क्रस्ट 21 सेन्टीमीटर थी, जबकि 10 सेन्टीमीटर की मौजूदा वर्तमान क्रस्ट को आधार मान कर क्रस्ट का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, मौजूदा वर्तमान क्रस्ट की तुलना में कम क्रस्ट को लेने के कारण निम्नानुसार ₹ 2.50 करोड़ का अधिक और संदिग्ध व्यय किया गया:

**वास्तविक वर्तमान क्रस्ट से कम क्रस्ट लेने के कारण ₹ 2.50 करोड़ का अधिक्य व्यय**

विस्तृत आगणन के अनुसार डब्ल्यूबीएम की मात्रा - 10,920 घनमीटर
डब्ल्यूबीएम की निष्पादित मात्रा - 10,920 घनमीटर
आधिक्य व्यय - $10,920$ घनमीटर $\times 2,261 = ₹ 2,46,90,120.00$ + प्रीमियम 1.25% = ₹ 2,49,98,746.50 अर्थात् ₹ 2.50 करोड़

8. इसी प्रकार, निर्माण खण्ड-1, बस्ती में, पीलीभीत-बहराइच-बस्ती (राज्य राजमार्ग-26) मार्ग की मौजूदा वर्तमान क्रस्ट मार्ग परिलेख के अनुसार 37 सेन्टीमीटर थी, जबकि विस्तृत आगणन में मात्र 25 सेन्टीमीटर ही लिया गया और उसके अनुसार 54 सेन्टीमीटर क्रस्ट का प्रावधान किया गया था। परिणामस्वरूप निम्नानुसार ₹ 1.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

<sup>6</sup> 53/अधी0अभि0/2011-12 दिनांक 27.06.2011, ₹ 19,68,64,361/-।

**मौजूदा वर्तमान क्रस्ट को कम लिए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय: ₹ 1.25 करोड़**

कार्य का नाम— पीलीभीत-बहराइच-बस्ती (एसएच-26) सड़क के किमी 415 से 424.700 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य एवं चैनेज 390 से 395 में सुदृढीकरण का कार्य

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति - 09-12-2011, ₹ 14.14 करोड़

तकनीकी स्वीकृति - 30-03-2012

अनुबंध - 25 एसई 23-12-2011, ₹ 8.97 करोड़, मेसर्स साकेत निर्माण, लखनऊ

मार्ग परिलेख के अनुसार वर्तमान क्रस्ट - 37 सेन्टीमीटर

डिजाइन क्रस्ट में ली गई क्रस्ट - 25 सेन्टीमीटर

डिजाइन के अनुसार कुल आवश्यक क्रस्ट - 54 सेन्टीमीटर

डिजाइन क्रस्ट को प्राप्त करने हेतु प्रावधान - चौड़ीकरण : जी-1 10 सेन्टीमीटर, जी -2 7.5 सेन्टीमीटर, जी -3 7.5 सेन्टीमीटर (25 सेन्टीमीटर)

सुदृढीकरण : डब्ल्यूएमएम 22.50 सेन्टीमीटर, बीएम 5 सेन्टीमीटर, एसडीबीसी 2.50 सेन्टीमीटर

सुदृढीकरण में अतिरिक्त डब्ल्यूएमएम का प्रावधान एवं निष्पादन -  $9,000 \times 7 \times 0.12 = 7,560$  घनमीटर @ 2,521.70 = 1,90,64,052

घटायें चौड़ीकरण भाग में जीएसबी का कम प्रावधान एवं निष्पादन -  $7,900 \times 2 \times 1.80 \times 0.10 = 2,844$  घनमीटर @ 2,521.70 = 71,71,715

अतिरिक्त प्रावधानित धनराशि -  $1,90,64,052 - 71,71,715 = 1,18,92,337.00 + 4.90$  प्रतिशत प्रीमियम  $5,82,725 = ₹ 1,24,75,062$  अर्थात् ₹ 1.25 करोड़

9. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर के अभिलेखों की जांच (जून 2016) में पाया गया कि गोरखपुर-खजनी-सिकरीगंज सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु शासन द्वारा ₹ 23.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (23 अक्टूबर 2011) प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र ने दिसम्बर 2011 में समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। अधीक्षण अभियंता, गोरखपुर वृत्त द्वारा मेसर्स कनदर्प कन्स्ट्रक्शन, लखनऊ से ₹ 17.65 करोड़ का अनुबंध (106/एसई/10-11) विभागीय दर से 18 प्रतिशत कम पर गठित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बजट के आबंटन में विलम्ब होने के कारण, ठेकेदार ने कार्य करने से मना कर दिया गया। अतः, ठेकेदार को ₹ 15.52 करोड़ के निष्पादित कार्य के सापेक्ष ₹ 12.73 करोड़ का भुगतान (नवम्बर 2015) करते हुए अनुबंध निरस्त कर दिया गया। अग्रेतर, ₹ 4.92 करोड़<sup>7</sup> के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु मेसर्स प्रभा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, गोरखपुर से ₹ 6.61 करोड़ का अनुबंध (71/एसई/15-16) विभागीय दर से 0.50 प्रतिशत कम पर गठित किया गया।

इस प्रकार, शासन द्वारा विलम्ब से धनाबंटन किए जाने के कारण अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु ₹ 1.69 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा तथा कार्य स्वीकृति के पांच वर्ष पश्चात् भी कार्य प्रगति पर था।

10. निर्माण खण्ड-1, बस्ती के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि पीलीभीत-बहराइच-बस्ती मार्ग (चैनेज किलोमीटर 395 से 405) मार्ग के 10 किलोमीटर लम्बाई के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु शासन द्वारा ₹ 11.13 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (मार्च 2010) प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र ने मार्च 2010 में समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी। अधीक्षण अभियंता, द्वारा मेसर्स साकेत कन्स्ट्रक्शन, लखनऊ से ₹ 8.46 करोड़ का अनुबंध<sup>8</sup> गठित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीओक्यू की दरें बढ़नी/बुटवल क्वैरी पर आधारित थीं जबकि नेपाल की क्वैरी बंद थी तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा 28 अप्रैल 2010 को शंकरगढ़/डाला क्वैरी की दर के आधार पर अनुबंध में दिए गए मदों के लिए बीओक्यू की दर से उच्च दरों को अतिरिक्त मदों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उच्च दरों की स्वीकृति न्यायोचित नहीं थी क्योंकि निविदा के समय बढ़नी/बुटवल क्वैरी बंद थी। जैसाकि, ठेकेदार ने इसे ध्यान में रखते हुए दरें दी थी। इस प्रकार, उच्च दरों की स्वीकृति का कोई औचित्य नहीं था। अतः उच्च दरों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया।

**तथ्यों को छिपाने के आधार पर अतिरिक्त मद के आधार पर अतिरिक्त भुगतान का विवरण**

कार्य की मद	अनुबंध में दर (₹)	अतिरिक्त मद में दरें (₹)	दर में अंतर (₹)	कार्य की मात्रा (घनमी)	अतिरिक्त व्यय (₹)
जीएसबी	1,407.10	2,100.00	692.90	2,891.48	20,03,506.49
45-63 का संग्रह	1,074.30	1,450.00	375.70	2,626.12	9,86,633.28
22.4-53 का संग्रह	1,129.30	1,500.00	370.70	2,629.60	9,74,792.72

<sup>7</sup> ₹17.65 करोड़ - ₹12.73 करोड़ = ₹4.92 करोड़।

<sup>8</sup> अनुबंध संख्या 14/एस0ई0 दिनांक 30.03.2010।

स्क्रीनिंग मैटेरियल	1,409.30	1,490.00	80.70	1,032.68	83,337.28
डब्ल्यूएमएम	2,071.40	2,500.00	428.60	10,756.95	46,10,428.77
डब्ल्यूएमएम	2,071.40	2,700.00	628.60	5,237.19	32,92,097.63
बीएए	3,202.00	3,728.00	526.00	3,552.83	18,68,788.58
एसडीबीसी	3,196.30	3,599.00	402.70	1,789.52	7,20,639.70
<b>योग</b>					<b>1,40,35,721.89</b> अर्थात् ₹ 1.40 करोड़

11. शासन द्वारा मुरादाबाद-सम्भल (मुख्य जिला मार्ग-69 डब्ल्यू) मार्ग के 35.710 किलोमीटर लम्बाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 136.33 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जुलाई, 2013) प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, मुरादाबाद क्षेत्र द्वारा समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति (अगस्त, 2013) प्रदान की गयी। अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद वृत्त द्वारा कार्य के सम्पादन हेतु दो अनुबंधों का गठन किया गया।

निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद एवं प्रान्तीय खण्ड, सम्भल की लेखापरीक्षा (अप्रैल-मई, 2016) में पाया गया कि मार्ग का किलोमीटर 0.000 से 1.520 भाग राष्ट्रीय राजमार्ग-24 का शहर क्षेत्र था, जबकि किलोमीटर 1.520 से 5.820 मुरादाबाद-फर्रुखाबाद (राज्य राजमार्ग-43) का भाग था तथा मुरादाबाद-संभल मार्ग (मुख्य जिला मार्ग-69 डब्ल्यू) राज्य राजमार्ग-43 के 5.340 किलोमीटर से प्रारम्भ हुई थी। इस प्रकार, कुल लम्बाई 36.750 किलोमीटर में मुख्य जिला मार्ग की लम्बाई 31.410 किलोमीटर थी तथा किलोमीटर 0.000 से 4.450 में कैरेजवे की चौड़ाई 12 मीटर थी। आगणन में किलोमीटर 2.100 से 4.450 तक सुदृढीकरण का कार्य तथा किलोमीटर 36.750 तक अवशेष किलोमीटर में चार लेन तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य का प्रावधान किया गया था। सड़क मौजूदा वर्तमान क्रस्ट किमी 2.100 से 3.100 (राज्य राजमार्ग-43 भाग) में 400 मिलीमीटर, किलोमीटर 3.10 से 5.820 (राज्य राजमार्ग-43 भाग) में 475 मिलीमीटर तथा किलोमीटर 5.340 से 36.750 तक (मुख्य जिला मार्ग भाग) 525 मिलीमीटर थी। जिसे क्रमशः 540 मिलीमीटर, 615 मिलीमीटर तथा 665 मिलीमीटर तक सुदृढीकरण हेतु 50 मिलीमीटर बीएम, 50 मिलीमीटर डीबीएम और 40 मिलीमीटर बीसी का प्रावधान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विस्तृत आगणन में डिजाइन के प्रावधान के लिए यातायात गणना सात दिन चौबीस घंटे के स्थान पर मात्र तीन दिन की गणना<sup>9</sup> ही संलग्न किया गया था, जिसके लिए कोई कारण उल्लिखित नहीं किया गया था। इसके अलावा, सितम्बर 2011 में मार्ग के किलोमीटर 3-4 में बीबीडीटी टेस्ट कराया गया था जिसमें विशेषता विक्षेपण (करेक्टर्सटिक डिफ्लेक्शन) 1.463 मिलीमीटर मापा गया था जिसके आधार पर 164 मिलीमीटर बीएम ओवरले का प्रस्ताव दिया गया था। मार्ग के सम्पूर्ण चैनैज हेतु एकमात्र 164 मिलीमीटर बीएम ओवरले का प्रस्ताव मान्य नहीं था क्योंकि सड़क के मात्र एक किलोमीटर पर बीबीडीटी टेस्ट कराना आईआरसी मानक के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा पाया गया कि मुरादाबाद जिले में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कुल 16.630 किलोमीटर में से 11.600 किलोमीटर पर ₹ 1.87 करोड़<sup>11</sup> का व्यय करके एवं सम्भल जिले में वर्ष 2012-13 में ₹ 39.89 लाख का व्यय करके नवीनीकरण का कार्य कराया गया था। इस प्रकार सितम्बर, 2011 में मार्ग के किलोमीटर 3-4 में कराये गये विशेषता विक्षेपण (करेक्टर्सटिक डिफ्लेक्शन) जिसमें 1.463 मिलीमीटर के आधार पर 164 मिलीमीटर बीएम ओवरले का प्रस्ताव अनुचित तथा आईआरसी मानक के विरुद्ध था। वास्तव में, खण्डों को निष्पादित नवीनीकरण के कार्यों का संज्ञान लेते हुए आईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा वर्तमान क्रस्ट पर बीबीडीटी टेस्ट कराकर ओवरले की वास्तविक आवश्यकता का पता लगाना चाहिए था। इसके अलावा, एक समान ओवरले 50 मिलीमीटर बीएम, 50 मिलीमीटर डीबीएम और 40 मिलीमीटर बीसी से किमी 2.100 से 3.100 (एसएच-43 भाग) में 540 मिलीमीटर, किलोमीटर 3.100 से 5.820 (राज्य राजमार्ग-43 भाग) में 615 मिलीमीटर तथा किलोमीटर 5.340 से 36.750 किलोमीटर (मुख्य जिला मार्ग भाग) में 665 मिलीमीटर की आवश्यक क्रस्ट प्राप्त की जा सकती थी। राज्य राजमार्ग-43 में किलोमीटर 5.340 तक यातायात की वास्तविक संख्या, तथा वहाँ जहाँ से मुख्य जिला मार्ग शुरू होती है की यातायात की संख्या से कम नहीं हो सकती। अतः राज्य राजमार्ग-43 भाग के ओवरले क्रस्ट 540 मिलीमीटर और 615 मिलीमीटर की तुलना में मुख्य जिला मार्ग भाग की ओवर ले 665 मिलीमीटर करना उचित नहीं था।

इस प्रकार, आवश्यक एवं प्रमाणिक बीबीडीटी टेस्ट के अभाव में जो सड़क की वर्तमान स्थिति के अनुसार ओवरले का पता लगाने के लिए अनिवार्य था। तथा एसएच-43 भाग के सुदृढीकरण के कार्य में क्रस्ट की मोटाई अर्थात् 615 मिलीमीटर के अनुसार एमडीआर भाग में कार्य करने पर 50 मिलीमीटर बीएम ओवरले पर किया गया ₹ 20.03 करोड़<sup>12</sup> के व्यय से बचा जा सकता था।

<sup>9</sup> किमी 1.520 से 21.000 कुल 20.960 किमी (नि0ख0-1, मुरा0 भाग) के लिए मेसर्स कसना बिल्डर्स प्रा0लि0 नोयडा, अनु0सं0 57/एसई दिनांक 30.8.2013, ₹ 63,16,66,853.30 @ 0.08 प्रतिशत कम पर तथा किमी 22.000 से 36.750, कुल लम्बाई 14.750 किमी (प्रा0ख0 शामली भाग) के लिए मेसर्स मनीषा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 गाजियाबाद, अनु0सं0 56/एसई दिनांक 30.8.2013, ₹ 46,64,62,248.00 @ 0.12 प्रतिशत कम पर।

<sup>10</sup> 20.03.2013 से 22.03.2013, किमी 25।

<sup>11</sup> 2011-12 ₹ 64.76 लाख, किमी 6 (600), 7, 8 14, 15 तथा ₹ 122.13 लाख, किमी 16-22 कुल 11.600 किमी।

<sup>12</sup> अनु0सं0 57 (नि0ख0-1 मुरादाबाद) 14,668.20\*7,675 = 11,25,78,435 कम 0.08 % 90,062.74=11,24,88,372.25 + अनु0सं0 56 (प्रा0ख0 सम्भल) 11,449.294\*7,680 = 8,79,30,577.92 कम 0.12 % 1,05,516.69=8,78,25,061.22 = कुल ₹ 20,03,13,433.47।

**परिशिष्ट 5.3**

**आई0आर0सी0 मानक के सापेक्ष कम/त्रुटिपूर्ण प्रावधान**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.2.2)

1. आईआरसी-37-2001<sup>13</sup> के अनुसार यदि सबग्रेड की मिट्टी अपेक्षाकृत कम पारगम्यता (Permeability) की है तो जल निकासी हेतु ग्रेनुअल सब-बेस को सड़क की पूरी चौड़ाई में बिछाया जाना चाहिए। सब-बेस की मोटाई जहाँ डिजाइन यातायात 10 एमएसए से कम है वहाँ 150 मिलीमीटर तथा जहाँ डिजाइन यातायात 10 एमएसए से अधिक है वहाँ 200 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

प्रान्तीय खण्ड एवं निर्माण खण्ड-3, झांसी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि शासन ने (जनवरी 2014) में एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 142.25 करोड़ की स्वीकृति दी थी। मुख्य अभियंता, झांसी क्षेत्र ने जनवरी 2014 में ₹ 142.25 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी। अधीक्षण अभियंता, झांसी वृत्त द्वारा फरवरी 2014 में दो अनुबंधों<sup>14</sup> का गठन किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डिजाइन यातायात 102 एमएसए था। अतः 200 मिलीमीटर ड्रेनेज लेयर की आवश्यकता थी। परन्तु विस्तृत आगणन में 150 मिलीमीटर ड्रेनेज लेयर (ग्रेनुअल सबबेस) का प्रावधान किया गया था तथा अनुबंध गठन में भी 150 मिलीमीटर ड्रेनेज लेयर लिया गया था तथा ठेकेदार द्वारा इसका ही निष्पादन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अद्योमानक कार्य का निष्पादन किया गया।

इस प्रकार, 150 मिलीमीटर ड्रेनेज लेयर के कार्य पर निम्नानुसार ₹ 11.44 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया:

**आईआरसी मानकों के विरुद्ध निष्पादित कार्य की मात्रा का विवरण (एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर)**  
**चैनेज किलोमीटर 01 से 20 के कार्य निष्पादन का विवरण**

खण्ड का नाम	अनुबंध का विवरण	चैनेज	चौड़ाई	आगणन के अनुसार मात्रा घनमीटर में	स्वीकार्य मात्रा घनमीटर में	अतिरिक्त मात्रा घनमीटर में	दर प्रति घन मीटर (₹ में)	प्रीमियम	अतिरिक्त मात्रा की लागत (₹ में)
निर्माण खण्ड-3 झांसी	74/एसई/13-14 दिनांक 3.02.14	किलोमीटर-04 से 08=05 किलोमीटर; किलोमीटर 10 से 20=11 किलोमीटर; योग 15.200 किलोमीटर	3.70 मीटर	15.20x2x1,000x5.08x0.15= 23,164.80	15.20x2x1.80 x 1000x 0.15 =8,208	14,956.80	1,650	11.25 प्रतिशत	2,81,33,740.80
	ऋषिराज कन्स्ट्रक्शन	किलोमीटर 01 से 03=03 किलोमीटर; किलोमीटर 09=01 किलोमीटर योग 04 किलोमीटर	5.50 मीटर	4x2x1,000x4.18x0.15= 5,016	4x2x1,000x0.90x0.15 =1,080	3,936	1,650	11.25 प्रतिशत	72,25,020.00
<b>कुल योग</b>									<b>3,53,58,760.80</b>

**चैनेज किमी 21 से 71 (180) के कार्य निष्पादन का विवरण**

खण्ड का नाम	अनुबंध का विवरण	चैनेज	चौड़ाई	आगणन के अनुसार मात्रा घनमीटर में	स्वीकार्य मात्रा घनमीटर में	अतिरिक्त मात्रा घनमीटर में	दर प्रति घन मीटर (₹ में)	प्रीमियम	अतिरिक्त मात्रा की लागत (₹ में)
प्रान्तीय खण्ड झांसी	76/एसई/13-14 दिनांक 12.2.14	किलोमीटर -21 से 27=07 किलोमीटर; किलोमीटर 31 से 52=22 किलोमीटर; किलोमीटर 55-56 = 03 किलोमीटर; किलोमीटर 59-62=4	3.70 मीटर	38x5.15x2x1,000x0.15= 58,710	38x1.82x2x1,000 x0.15=20,748	37,962	1,647	14%	7,12,76,691.96

<sup>13</sup> पैराग्राफ 4.2.1.3 और 4.2.1.4

<sup>14</sup> मेसर्स ऋषिराज कन्स्ट्रक्शन से नि0ख0-3, झांसी द्वारा अनु0सं0 74/एसई/13-14 दिनांक 03.02.2014, ₹ 35.64 करोड़ तथा मेसर्स वेरिगेट प्रोजेक्ट प्रा0लि0 से प्रा0ख0 झांसी द्वारा अनु0सं076/एसई/13-14 दिनांक 12.02.2014, ₹ 91.93 करोड़।

		किलोमीटर; किलोमीटर 64-66 = 03 किलोमीटर योग 38 किलोमीटर							
वेरीगेट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद		किलोमीटर 54	3.70 मीटर	01x2x100 0x5.15x 0.15= 1,545	01x2x1,000x 1.80x0.15=540	1,005	1,647	14%	18,86,967.90
		किलोमीटर 29 (280); किलोमीटर 30; किलोमीटर 69, 70, 71 (180)=3.46 किलोमीटर	5.70 मीटर	3.46x4.15 x2x1000x 0.15=430 7.70	3.46x0.80x2x100 0x0.15=830.40	3,477.30	1,647	14%	65,28,908.934
<b>सकल योग</b>									<b>7,96,92,568.79</b>

कुल अतिरिक्त/निरर्थक व्यय - ₹ 3,53,58,760.80 + ₹ 7,96,92,568.79 = ₹ 11,43,72,664.70 अर्थात्; **₹ 1,143.73 लाख**।

2. शासन द्वारा (अगस्त 2015) जनपद झांसी में आंशिक मुख्य शहर मार्ग के शिवपुरी बाईपास से डीविजनल कमाण्डेंट होमगार्ड कार्यालय वाया वधवा पेट्रोल पम्प (लम्बाई 3.050 किलोमीटर) जनपद आगरा के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 18.80 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, झांसी क्षेत्र द्वारा समान राशि की तकनीकी स्वीकृति (टीएस) प्रदान की गई थी (सितम्बर 2015)। मेसर्स, अजय प्रकाश एसोसिएट्स से अनुबंध संख्या 35/एसई/15-16 ₹ 13.05 करोड़ का गठन किया गया था।

अधिशारी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, झांसी के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि चौड़ीकृत भाग में अपर्याप्त नान-बिटुमिन्स 32.50 सेन्टीमीटर (20 सेन्टीमीटर जीएसबी तथा 12.50 सेन्टीमीटर डब्ल्यूएमएम) पर 20.50 सेन्टीमीटर (7.50 सेन्टीमीटर बीएम, 9 सेन्टीमीटर डीबीएम तथा 4 सेन्टीमीटर बीसी) बिटुमिन्स क्रस्ट किया गया था। आईआरसी मानक के अनुसार बीएम, डीबीएम और बीसी को डालने के पहले नान-बिटुमिन्स क्रस्ट 40 सेन्टीमीटर प्राप्त किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, बीएम की आवश्यकता नहीं थी जिसे डब्ल्यूएमएम से प्रतिस्थापित किया जा सकता था।

इस प्रकार, केवल 32.5 सेन्टीमीटर आवश्यक नान-बिटुमिन्स क्रस्ट के बगैर बीएम, डीबीएम और बीसी डालना न केवल आईआरसी मानक के विरुद्ध था बल्कि निम्नानुसार ₹ 1.04 करोड़ का परिहार्य व्यय भी किया गया था:

आगणन के अनुसार बीएम का प्रावधान = 2,214.34 घनमीटर
9वें रनिंग बिल के अनुसार बीएम की निष्पादित मात्रा = 1,909.68 घनमीटर
बीएम की दर = ₹ 7,279 प्रति घनमीटर
डब्ल्यूएमएम की दर = ₹ 1,685 प्रति घनमीटर
परिहार्य अतिरिक्त व्यय = (1,909.68*7,279) - 1,909.68*1,685 = ₹ 1,06,82,749.92
अनुबंध के अनुसार 2.80 प्रतिशत घटाइये = ₹ 1,03,83,632.92 अर्थात् <b>₹ 1.04 करोड़</b>

3. प्रान्तीय खण्ड, आगरा के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि शासन द्वारा (नवम्बर 2011) आगरा-वाह-कचौराघाट (राज्य राजमार्ग-62) के 35.600 किलोमीटर लम्बाई में चौड़ीकरण हेतु ₹ 8.60 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

लेखापरीक्षा (मई, 2016) में पाया गया कि मार्ग की मौजूदा वर्तमान चौड़ाई 5.50 मीटर थी जिसे सात मीटर चौड़ा किया जाना था। विस्तृत आगणन में 100 मिलीमीटर डब्ल्यूबीएम ग्रेड-1, 150 मिलीमीटर ग्रेड-2, 150 एमएम ग्रेड-3, पी-1 तथा 25 मिलीमीटर एसडीबीसी का प्रावधान किया गया था। आईआरसी की विशिष्टियों के अनुसार 50 मिलीमीटर बीएम के बाइन्डर कोर्स के पश्चात 25 मिलीमीटर एसडीबीसी डाला जाता है। इसप्रकार, खण्ड द्वारा आईआरसी की विशिष्टियों के विरुद्ध पी-1 पर 25 मिलीमीटर एसडीबीसी का कार्य निष्पादित कराया गया था। परिणामस्वरूप, मार्ग क्षतिग्रस्त हो गई तथा दो वर्ष के भीतर क्रस्ट की मोटाई 350 मिलीमीटर तक घट गई थी। इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु शासन द्वारा फरवरी 2014 में एक नया प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था।

इस प्रकार, पी-1 की सतह पर एसडीबीसी के त्रुटिपूर्ण प्रावधान एवं क्रियान्वयन<sup>15</sup> के परिणामस्वरूप ₹ 2.60 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया।

<sup>15</sup> अनुबंध संख्या 26/एसई/11-12 तथा 28/एसई/11-12।



4. बजट मैनुअल के प्रस्तर 205 में उल्लिखित है कि प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक धन का व्यय करने में वैसी सतर्कता अपनानी चाहिए जैसाकि वह स्वयं के धन को व्यय करने के सम्बन्ध में अपनाता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता (सितम्बर 2008) द्वारा निर्देशित है कि आगणन तैयार करते समय मोर्थ की विशिष्टियों को अपनाया जाए।

प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद के लेखाभिलेखों की जांच (अप्रैल 2016) में पाया गया कि शासन द्वारा मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून (राज्य राजमार्ग-49) के किलोमीटर 5.800 से 22.500 (कुल लम्बाई 16.700 किलोमीटर) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के लिए ₹ 3271.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जुलाई 2013) प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, मुरादाबाद क्षेत्र पीडब्ल्यूडी द्वारा समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2013) प्रदान की गयी थी। अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद वृत्त, पीडब्ल्यूडी, ने कार्य निष्पादन हेतु एक अनुबंध<sup>16</sup> का गठन किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्ग की चौड़ाई किमी 0.000 से 5.800 तक 12 से 14 मीटर थी, जबकि शेष लम्बाई में 7 मीटर थी। मार्ग की मौजूदा वर्तमान क्रस्ट 600 मिलीमीटर थी जिसमें 75 मिलीमीटर बिटुमिन्स लेयर सम्मिलित थी। तदनुसार, चौड़ीकृत भाग में 300 मिलीमीटर जीएसबी, 225 मिलीमीटर डब्ल्यूबीएम एवं 75 मिलीमीटर डीबीएम तथा समस्त 12 मीटर कैरेजवे में 40 मिलीमीटर बीसी का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, 12 मीटर कैरेजवे में 640 मिलीमीटर क्रस्ट प्राप्त किया जाना था। संवीक्षा में पाया गया कि कार्य प्रारम्भ होने के चार माह बाद, मुख्य अभियंता ने (दिसम्बर 2013) में मौजूदा वर्तमान क्रस्ट क्षतिग्रस्त होने के कारण अतिरिक्त मद के रूप में 20 मिलीमीटर मोटी ओपेन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट टैक कोट एवं सील कोट टाइप सी के साथ ₹ 91.22 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसने पीसी सील कोट के कार्य को निष्पादित करने से पहले बिटुमिन्स कंक्रीट (बीसी) के निष्पादन को असम्भव कर दिया था। अतः वियरिंग कोर्स बीसी के पहले पीसी सील कोट की स्वीकृति औचित्यपूर्ण नहीं थी क्योंकि कार्य प्रारम्भ होने की तिथि अगस्त 2013 थी तथा कार्य वास्तव में मार्च 2015<sup>17</sup> को समाप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त, इस मद को विस्तृत आगणन में सम्मिलित नहीं किया गया था तथा बीसी का कार्य निष्पादन की अंतिम मद थी। इसके अतिरिक्त वर्तमान बिटुमिन्स क्रस्ट की मोटाई 75 मिलीमीटर थी क्योंकि चौड़ीकरण भाग में इसके लिए डीबीएम का प्रावधान किया गया था। इससे स्पष्ट था कि मौजूदा बिटुमिन्स क्रस्ट पीसी सील कोट नहीं था। अतः विभिन्न बिटुमिन्स सतह पर बीसी के पूर्व पीसी सील कोट का डालना आईआरसी विशिष्टियों से असंगत था तथा आवश्यक नहीं था।

इस प्रकार, पीसी सील कोट<sup>18</sup> को अतिरिक्त मद के रूप में स्वीकृत कर सम्पादित करना न केवल आईआरसी विशिष्टियों से असंगत था बल्कि ₹ 91.36 लाख का निरर्थक व्यय किया गया।

5. लोक निर्माण विभाग की अनुबंध के माडल बिड डाक्यूमेंट (टी 2) की धारा 4 के अनुसार ठेकेदार को स्वयं इण्डियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम से बिटुमिन और संशोधित बिटुमिन्स का क्रय करना था तथा कम्पनी द्वारा निर्गत मूल सीआरसी को भुगतान का दावा प्रस्तुत करते समय बिल के साथ संलग्न करना था।

अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, उन्नाव के लेखाभिलेखों की जांच (जुलाई 2016) में पाया गया कि शासन द्वारा सण्डीला-रसूलाबाद-चकलबंशी मार्ग (मुख्य जिला मार्ग-31) मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अगस्त 2010) ₹ 18.67 करोड़ की प्रदान की थी। मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र लखनऊ द्वारा समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति सितम्बर 2010 में प्रदान की थी। अधीक्षण अभियंता, उन्नाव वृत्त ने मेसर्स, अरुण कन्स्ट्रक्शन, उन्नाव से एक अनुबंध (56 एसई दिनांक 03.02.2011) ₹ 16.15 करोड़ का गठन किया गया था। इसके अलावा, अग्रेतर जांच में पाया गया कि अधिशाली अभियंता ने एमबीडी के प्रावधानों के विरुद्ध शिड्यूल सी में बिटुमिन आपूर्ति हेतु एक शर्त यह जोड़ दी कि यदि बल्क बिटुमिन बीजी-10 या इमल्शन, बीजी-30, सीआरएमबी-55, एमएस ग्रेड केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध न होने पर, ठेकेदार प्रमुख अभियंता की लिखित अनुमति से स्थानीय बाजार से क्रय करेगा तथा उसका भुगतान वर्तमान सीआरसी दर पर किया जायेगा। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि खण्ड ने केन्द्रीय भण्डार से बिटुमिन जारी नहीं किया गया और यह ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित किया गया। परिणामस्वरूप, ठेकेदार द्वारा अनुसूची-सी एवं वर्तमान खरीद दर में वर्णित बिटुमिन की दर में अंतर का ₹ 1.02 करोड़ का दावा किया गया। इस प्रकार, माडल बिड डाक्यूमेंट के प्रावधानों के विरुद्ध अनुसूची-सी में अनुचित शर्त जोड़ने के कारण ठेकेदार को ₹ 1.02 करोड़ की अनुचित सहायता प्रदान की गयी थी।

6. राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण करने की नीति लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाया<sup>19</sup> गया था (अक्टूबर 2007)। तदनुसार, दोनों दिशाओं में 20,000-30,000 सेन्टिमिटर कार यूनिट के सड़कों को चौड़ा किया जाना था। इसके अलावा, बजट मैनुअल के प्रस्तर 205 में उल्लिखित है कि प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक धन का व्यय करने में वैसी सतर्कता अपनानी चाहिए जैसाकि वह स्वयं के धन को व्यय करने के सम्बन्ध में बरतता है।

<sup>16</sup> मे0 जेएसपी प्रोजेक्टस प्रा0लि0 गाजियाबाद, अनु0 संख्या 53/एसई-मुरा0वृ0/13-14 दिनांक 24.08.2013, ₹ 28,00,81,035.00 @ 0.09 प्रतिशत कम पर, कार्य प्रारम्भ तिथि 24.08.2013 और कार्य समाप्ति की शिड्यूल तिथि 23.08.2014.

<sup>17</sup> वाउचर संख्या 08/18.5.2015 द्वारा भुगतानित 14वाँ अंतिम बिल।

<sup>18</sup> 40,463.250 वर्गमीटर \* 226.00/ वर्ग मी0 = ₹ 91,44,694.50 - 0.09% (कम दर) = ₹ 91,36,464.27।

<sup>19</sup> प्रमुख अभियंता का परिपत्र संख्या 7,114 एमटी/60 एमटी/2007 दिनांक 17.10.2007।

अधिशाली अभियंता (ईई), निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग मैनपुरी के लेखाभिलेखों की जांच (जून 2016) में पाया गया कि इटावा-मैनपुरी मार्ग (राज्य राजमार्ग-83) राष्ट्रीय राजमार्ग-2 इटावा से निकलती है तथा मैनपुरी जिले में मैनपुरी-कुरौली मार्ग (राज्य राजमार्ग-84 ए) में कुरौली कस्बा में राष्ट्रीय राजमार्ग-91 के किमी 240 में समाप्त होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा राज्य क्षेत्र के तहत इटावा-मैनपुरी-कुरौली मार्ग (राज्य राजमार्ग-83 और राज्य राजमार्ग-84) (लम्बाई 52.000 किलोमीटर) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के लिए ₹ 22634.98 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (फरवरी 2013) प्रदान की गयी। मुख्य अभियंता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0 ने (मार्च 2013) 49.800 किलोमीटर हेतु समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अधीक्षक अभियंता, मैनपुरी वृत्त ने कार्य के निष्पादन के लिए एक अनुबंध<sup>20</sup> का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, शासन ने (मई 2014) पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 40,291.37 लाख की प्रदान की गयी थी, तथा प्रस्तावित सैफई-करहल बाईपास के 14 किलोमीटर<sup>21</sup> लम्बे मार्ग के निर्माण को अन्य सम्बद्ध<sup>22</sup> कार्य के साथ शामिल किया गया था जो इटावा जिले के मौजूदा राज्य राजमार्ग-83 से निकल कर मैनपुरी जिले में समान मार्ग पर किमी 29 पर समाप्त होती थी। मुख्य अभियंता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ने (मार्च, 2013) मैनपुरी भाग में बाईपास के 8.000 किलोमीटर भाग सहित 60.000 किलोमीटर<sup>23</sup> के लिए समान धनराशि के लिए संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी। अधीक्षण अभियंता, मैनपुरी वृत्त ने 8.000 किलोमीटर लम्बे बाईपास के कार्य के निष्पादन हेतु एक अलग अनुबंध<sup>24</sup> गठित किया गया था। दोनो अनुबंध जून 2016 तक चल रहे थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्तमान राज्य राजमार्ग (राज्य राजमार्ग-83) के संरक्षण में एक बाईपास पहले से ही यातायात के डायवर्जन हेतु करहल कस्बा में बाई ओर मौजूद था। इसके अतिरिक्त, मौजूदा मार्ग को चार लेन के रूप में चौड़ा करने हेतु पर्याप्त पीसीयू<sup>25</sup> नहीं था। परिणामस्वरूप, पहले से निर्धारित मार्ग के चार लेन के मानक का शासन द्वारा कार्य की मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय छूट<sup>26</sup> प्रदान की गयी थी। जो अन्य बातों के साथ-साथ करहल कस्बा बाईपास भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण को मार्ग के चार लेन में परिवर्तन भी शामिल किया गया था।

जैसाकि, स्वीकृत 14 किलोमीटर लम्बी बाईपास जो राज्य राजमार्ग-83 के दायीं ओर से सैफई कस्बा (किलोमीटर 23) इटावा जिले से प्रारम्भ होती है तथा मैनपुरी जिले के करहल कस्बा (किलोमीटर 29) में समाप्त होती है के संरक्षण में पड़ोसी गांवों के निवास को शामिल करना उचित नहीं था। इस प्रकार, जिला मैनपुरी में इटावा-मैनपुरी मार्ग (राज्य राजमार्ग-83) के 8.00 किलोमीटर लम्बे बाईपास के निर्माण पर ₹ 6427.57 लाख<sup>27</sup> का व्यय परिहार्य था।

7. शासन ने लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 40.00 लाख से अधिक लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु माडल बिड डाक्यूमेंट (टी-2) की वृहद शर्तें एवं नियमों (जनवरी 2007) को अपनाया गया था। अनुबंधों की शर्तों की धारा 4 के अनुसार ठेकेदार को स्वयं इण्डियन आयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम से बिटुमिन और संशोधित बिटुमिन्स का क्रय करना था तथा कम्पनी द्वारा निर्गत मूल सीआरसी को भुगतान का दावा प्रस्तुत करते समय बिल के साथ संलग्न करना था। बजट मैनुअल के प्रस्तर 205 में उल्लिखित है कि प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक धन का व्यय करने में वैसी सतर्कता अपनानी चाहिए जैसाकि वह स्वयं के धन को व्यय करने के सम्बन्ध में बरतता है।

अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड गाजीपुर के लेखाभिलेखों की जांच (सितम्बर, 2016) में पाया गया कि शासन ने सैदपुर-देवचंदपुर-धरवान को राज्य क्षेत्र के अंतर्गत चोचकपुर तक (लम्बाई 19.750 किलोमीटर) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 1,033.73 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जून, 2011) प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति (जून, 2012) प्रदान की गयी। अधीक्षण अभियंता, वाराणसी वृत्त ने कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध<sup>28</sup> गठित किया गया था तथा नवम्बर 2013 में अनुबंध का अंतिमीकरण<sup>29</sup> किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुबंध में बिटुमिन एवं इमल्सन की समावेशी दर के साथ प्राइमर कोट, टैक कोट, प्रीमिक्स कार्पेंटिंग और सील कोट का निष्पादन किया गया था, इसलिए इन मदों के निष्पादन हेतु इमल्सन एवं बिटुमिन के क्रय करने

<sup>20</sup> मे0 वलेचा इंजीनियरिंग लि0, मुम्बई अनु0सं0 32 /एसई/12-13 दिनांक 29.03.2013, ₹ 1,95,73,77,745.14, कार्य प्रारम्भ का दिनांक और कार्य समाप्ति के शिड्यूल का दिनांक क्रमशः 29.03.2013 और 28.03.2015 थी।

<sup>21</sup> 6.000 किमी इटावा जनपद में तथा 8.000 किमी मैनपुरी जनपद में।

<sup>22</sup> पुलों का निर्माण, विद्युत पोल एवं केबिल की शिपिंग, हैण्डपम्पों, वन के क्षतिपूर्ति की फीस आदि।

<sup>23</sup> मैनपुरी जिले में 52.000 किमी + 8.000 किमी लम्बा बाईपास।

<sup>24</sup> मे0जेएसपी प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 गाजियाबाद, अनु0 संख्या 27/एसई/14-15 दिनांक 27.11.2014 लागत ₹ 49,51,28,007.37 कार्य प्रारम्भ का दिनांक और कार्य समाप्ति के शिड्यूल का दिनांक क्रमशः 27.11.2014 और 26.05.2016 थी।

<sup>25</sup> विस्तृत आगणन में संलग्न यातायात गणना रिपोर्ट के अनुसार 14,029 पीसीयू थी।

<sup>26</sup> शासनादेश संख्या 260/ई/23-11-1446(1)/2012 टी0सी0 दिनांक 10.02.2014।

<sup>27</sup> वाउचर संख्या 01 दिनांक 27.04.2016 द्वारा 11वें रनिंग बिल ₹ 39,67,16,358.00 भुगतानित तथा ₹ 24,60,40,989.00 भूमि अधिग्रहण।

<sup>28</sup> मे0 राज ब्रदरर्स, वाराणसी, अनु0संख्या 39/ एसई/11-12 दिनांक 24.12.2011 लागत ₹ 9,39,07,526.96 कार्य प्रारम्भ का दिनांक और कार्य समाप्ति के शिड्यूल का दिनांक क्रमशः 24.12.2011 तथा 23.12.2012 थी।

<sup>29</sup> वाउचर संख्या 96 दिनांक 30.11.2013 द्वारा सम्पादित कार्य का 19वें अंतिम बिल ₹ 8,97,74,883.00 भुगतानित।

की जिम्मेदारी ठेकेदार पर थी। हालांकि, अनुबंध में संलग्न अनुसूची सी में प्रावधान किया गया था कि यदि विभागीय भण्डार में इमल्सन एवं बिटुमिन उपलब्ध होता है तो उसे क्रमशः ₹ 40,734 एवं 47,585 की दर निर्गत किया जायेगा।

अग्रेतर जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा मार्च 2013 से अगस्त 2013 के मध्य बिटुमिनस मदों के निष्पादन हेतु विभागीय भण्डार से प्रचलित निर्गत दरों पर 85.200 मीट्रिक टन इमल्सन एवं 262.905 मीट्रिक टन बिटुमिन निर्गत किया गया था। इमल्सन एवं बिटुमिन की सम्पूर्ण मात्रा निर्गत की गयी थी, जिसमें 38.00 मीट्रिक टन इमल्सन एवं 132.120 मीट्रिक टन बल्क बिटुमिन क्रमशः 51,000 प्रति मीट्रिक टन की दर पर एवं 52,770 प्रति मीट्रिक टन की दर से और 47.200 मीट्रिक टन इमल्सन एवं 130.785 मीट्रिक टन बल्क बिटुमिन क्रमशः 51,430 प्रति मीट्रिक टन एवं 56,965 प्रति मीट्रिक टन की निर्गत दर से दिया गया था एवं मार्च, 2013 से अगस्त, 2013 के मध्य कार्य पर भारित किया गया था। किन्तु बजट मैनुअल और मूलभूत वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विपरीत खण्ड ने ठेकेदार के बिल से अनुसूची सी में उल्लिखित 40,734 और 47,585 की दरों पर क्रमशः मात्र 32.84 मीट्रिक टन<sup>30</sup> इमल्सन तथा 74.74 मीट्रिक टन<sup>31</sup> बल्क बिटुमिन की कटौती की गयी थी। इसके अतिरिक्त, 52.36 मीट्रिक टन<sup>32</sup> इमल्सन और 188.165 मीट्रिक टन<sup>33</sup> बल्क बिटुमिन की कटौती ठेकेदार के बिल से नहीं की गयी थी, जबकि ये विभागीय भण्डार से निर्गत किए गए थे एवं कार्य पर भारित किया गया था। अतः अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध इमल्सन एवं बल्क बिटुमिन का निर्गमन तथा कम<sup>34</sup>/वसूली न<sup>35</sup> किए जाने से ठेकेदार को ₹ 138.93 लाख<sup>36</sup> की अदेय सहायता प्रदान की गयी।

8. निर्माण खण्ड-1, बस्ती द्वारा बस्ती-मेन्धावल-कप्तानगंज-तमकुही (राज्य राजमार्ग-64) मार्ग के किलोमीटर 06 से 14 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का ₹16.99 करोड़ का आगणन शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। इस मार्ग की मौजूदा नान-बिटुमिनस क्रस्ट 30 सेन्टीमीटर थी और बिटुमिनस लेयर बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया था। मार्ग की चौड़ाई 3.70 मीटर से 07 मीटर तक चौड़ा करने और चौड़ाई वाले भाग में 30 सेन्टीमीटर जीएसबी, पुरानी बिटुमिनस क्रस्ट को उखाड़ने के पश्चात पूरे चौड़ाई में 16.50 सेन्टीमीटर डब्ल्यूएमएम, 5 सेन्टीमीटर डीबीएम और 2.50 सेन्टीमीटर बीसी के प्रावधान का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, शासन ने मात्र मार्ग के चौड़ीकरण हेतु ₹ 7.78 करोड़ (फरवरी, 2016) की स्वीकृति प्रदान किया था। अग्रेतर जांच में पाया गया कि ₹ 82.18 लाख से किमी 7 एवं 8 में सुदृढीकरण कार्य (बीएम और एसडीबीसी) तथा किलोमीटर 9 से 14 तक मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य ₹ 74.06 लाख से वर्ष 2014-15 में कराया गया था। जबकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि ट्रक एवं भारी वाहनों के यातायात के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी सड़क पर अगले वर्ष सम्पूर्ण आठ किमी में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य प्रस्तावित था। इससे ज्ञात होता है कि वर्ष 2014-15 में क्रियान्वित हुए सुदृढीकरण और नवीनीकरण का कार्य अद्यमानक थे अथवा एक वर्ष पूर्व जो प्रस्ताव दिए गए थे वह आवश्यकता के अनुरूप नहीं थे। मार्ग के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि उसकी स्थिति बहुत खराब थी। अतः मात्र चौड़ीकरण के कार्य की स्वीकृति के कारण, इस राज्य राजमार्ग की स्थिति और खराब हो जायेगी, जिससे यातायात के आवागमन को बहुत कठिनाई होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मार्ग के अन्य भाग (किमी 0.000 से किलामीटर 6.00 और किलामीटर 14 से किलामीटर 57.00) पहले से ही 7 मीटर चौड़े थे। अतः वर्ष 2014-15 में सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण का प्रस्ताव भेजने के स्थान पर खण्ड को पूरे लम्बाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य का प्रस्ताव भेजना चाहिए था, जो कि पूर्व में व्यय किए गए ₹ 1.56 करोड़ को बचाया जा सकता था तथा जनता को बेहतर सुविधा प्राप्त होती। यह मार्ग लोक निर्माण विभाग में दोषपूर्ण योजना का एक उदाहरण है।

<sup>30</sup> 32.84 एमटी इमल्सन @ 40734 = 13,37,704.56 वाउचर संख्या 96/30.11.2013 द्वारा 19वें अंतिम बिल का भुगतान।

<sup>31</sup> 74.74 एमटी बल्क बिटुमिन @ 47,585 = 35,76,906.92 कुल ₹ 49,14,611.48 वाउचर संख्या 96/30.11.2013 द्वारा 19वें अंतिम बिल का भुगतान।

<sup>32</sup> 38.00 एमटी @ 51,000 = 19,38,000+14.36 एमटी (85.20 - 32.84 = 52.36 - 38.00) @ 51,430 = 7,38,534.8 कुल = 2,67,6534.80।

<sup>33</sup> 132.12 एमटी @ 52,770 = 69,71,972.40+56.045 एमटी (262.905 - 74.74 = 188.165 - 132.12) @ 56,965 = 31,92,603.43 कुल = 1,01,64,575.83

<sup>34</sup> (74.74 एमटी (5,6965-47,585) = 9,380\*74.74 = 7,01,061.20 + 32.84 एमटी (51,430-40,734) = 10,696 \*32.84 = 3,51,256.64) कुल = 7,01,061.20 + 3,51,256.64 = 10,52,317.84।

<sup>35</sup> 1,01,64,575.83+26,76,534.80 = ₹ 1,28,41,110.63।

<sup>36</sup> 1,28,41,110.63+10,52,317.84 = ₹ 1,38,93,428.47।

**परिशिष्ट 5.4**

**अधिशाली अभियंता द्वारा अनियमित तकनीकी स्वीकृतियों**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.4)

क्र० सं०	खण्ड	₹ 40.00 लाख से अधिक के कार्यों की कुल संख्या	कुल लागत (₹ करोड़ में)
1	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	5	5.42
2	निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर	29	25.99
3	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	17	17.75
4	निर्माण खण्ड-3, झांसी	5	4.67
5	निर्माण खण्ड, मैनपुरी	11	13.14
6	निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी	3	1.75
7	प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	8	6.78
8	निर्माण खण्ड-1, बस्ती	5	6.00
9	निर्माण खण्ड, बदायूँ	17	16.23
10	प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा	14	11.32
11	प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	2	1.61
12	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	9	5.77
13	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	3	3.10
14	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	24	27.46
15	निर्माण खण्ड-1, लखनऊ	10	7.99
16	निर्माण खण्ड-2, लखनऊ	2	1.71
17	निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर	6	4.20
18	प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर	6	5.15
19	प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	15	18.08
20	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	6	8.60
21	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	18	24.51
	<b>योग</b>	<b>215</b>	<b>217.23</b>

**परिशिष्ट 5.5 (अ)**

**विलम्बित तकनीकी स्वीकृति (क्षेत्रवार मुख्य अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति विलम्ब से निर्गत किए जाने का विवरण)**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.5)

क्षेत्र	90 दिन तक विलम्ब		91 से 180 दिनों के बीच विलम्ब		180 दिनों से अधिक विलम्ब		विलम्ब से निर्गत टी एस की कुल प्रकरण	लागत (₹ करोड़ में)
	विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण	लागत (₹ लाख में)	विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण	लागत (₹ लाख में)	विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण	लागत (₹ लाख में)		
मुख्य अभियंता, आगरा	62	31,394.13	22	23,548.53	24	14,145.48	108	690.88
मुख्य अभियंता, बरेली	25	9,232.31	3	589.29	0	0.00	28	98.22
मुख्य अभियंता, गोरखपुर	0	0.00	13	4,272.49	58	20,335.43	71	246.08
मुख्य अभियंता, झांसी	23	3,803.05	22	9,089.45	20	6,389.97	65	192.82
मुख्य अभियंता, मेरठ	41	12,177.43	20	9,538.71	7	1,760.48	68	234.77
मुख्य अभियंता, मुरादाबाद	82	19,163.51	32	3,9294.60	18	5,226.58	132	636.85
मुख्य अभियंता, वाराणसी	2	379.02	10	23,689.57	14	3,800.68	26	278.69
<b>योग</b>	<b>235</b>	<b>76,149.45</b>	<b>122</b>	<b>1,10,022.64</b>	<b>141</b>	<b>51,658.62</b>	<b>498</b>	<b>2,378.31</b>

**परिशिष्ट 5.5 (ब)**

विलम्बित तकनीकी स्वीकृति (वृत्तवार अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति विलम्ब से निर्गत किए जाने का विवरण)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.5)

वृत्त	90 दिन तक विलम्ब		91 से 180 दिनों के बीच विलम्ब		180 दिनों से अधिक विलम्ब		विलम्ब से निर्गत टी एस की कुल प्रकरण	लागत (₹ करोड़ में)
	विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण	लागत (₹ लाख में)	विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण	लागत (₹ लाख में)	विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण	लागत (₹ लाख में)		
अधीक्षण अभियंता, बुलन्दशहर	99	4,695.92	6	329.49	4	221.85	109	52.47
अधीक्षण अभियंता, गोरखपुर	120	7,525.97	109	7,023.10	81	5,255.67	310	198.05
अधीक्षण अभियंता, आगरा	147	7,194.37	31	1,304.73	12	663.26	190	91.62
अधीक्षण अभियंता, बदायूँ-पीलीभीत	308	10,177.79	29	1,493.76	13	796.04	350	124.68
अधीक्षण अभियंता, बस्ती	97	6,472.74	104	6,572.65	71	4,309.87	272	173.55
अधीक्षण अभियंता, मैनपुरी	38	1,750.82	8	388.29	5	305.14	51	24.44
अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद	32	2,099.14	16	542.23	2	90.73	50	27.32
अधीक्षण अभियंता, उन्नाव	177	11,246.99	12	888.25	6	496.05	195	126.31
अधीक्षण अभियंता, वाराणसी	16	748.30	26	1,338.18	18	769.03	60	28.56
<b>योग</b>	<b>1034</b>	<b>51,912.04</b>	<b>341</b>	<b>19,880.68</b>	<b>212</b>	<b>12,907.64</b>	<b>1,587</b>	<b>847.00</b>

**परिशिष्ट 5.5 (स)**

विलम्बित तकनीकी स्वीकृति (जिलेवार अधिशासी अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति विलम्ब से निर्गत किए जाने का विवरण)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.5)

खण्ड	90 दिन तक विलम्ब		91 से 180 दिनों के मध्य विलम्ब		180 दिनों से अधिक विलम्ब		विलम्ब से निर्गत टी एस की कुल प्रकरण	लागत (₹ करोड़ में)
	विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण	लागत (₹ लाख में)	विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण	लागत (₹ लाख में)	विलम्ब से निर्गत टी एस के प्रकरण	लागत (₹ लाख में)		
आगरा	155	2,942.73	19	288.30	4	70.32	178	33.01
बस्ती	123	3,281.01	44	1,235.96	29	693.63	196	52.11
बदायूँ	47	1,385.70	1	0.83	0	0.00	48	13.87
गाजीपुर	35	716.66	21	767.63	21	318.30	77	18.03
गोण्डा	94	2,965.74	1	16.15	1	27.61	96	30.10
गोरखपुर	100	3373.50	72	1,921.79	38	991.94	210	62.87
हापुड़	34	446.82	2	18.89	0	0.00	36	4.66
हरदोई	27	1,214.47	11	212.71	13	508.13	51	19.35
झांसी	18	437.52	11	147.39	3	55.97	32	6.41
मैनपुरी	362	5,372.76	20	396.59	9	204.30	391	59.74
मुरादाबाद	78	1,126.17	3	52.62	10	60.99	91	12.40
सम्भल	23	345.46	0	0.00	0	0.00	23	3.45
सिद्धार्थनगर	54	2,285.39	20	430.03	6	135.79	80	28.51
उन्नाव	55	1,247.10	2	121.94	14	379.98	71	17.49
लखनऊ	60	1,343.05	19	220.36	5	113.42	84	16.77
मिर्जापुर	116	2,797.30	25	645.27	24	698.76	165	41.41
सहारनपुर	103	3,064.03	7	129.99	3	100.38	113	32.94
<b>योग</b>	<b>1,484</b>	<b>34,345.41</b>	<b>278</b>	<b>6,606.45</b>	<b>180</b>	<b>4,359.52</b>	<b>1,942</b>	<b>453.11</b>

**परिशिष्ट 6.1**

**अयोग्य ठेकेदारों को बोली लगाने की अनुमति**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.1.1)

क्र० सं०	खण्ड	एनआईटी	कार्यों की संख्या	कार्य की लागत (₹ लाख में)	कार्य की श्रेणी	आमंत्रित ठेकेदार की श्रेणी
1	निर्माण खण्ड-1, बस्ती	530, 02.02.2016	1	650.00	ए	ए, बी
2	निर्माण खण्ड-1, बस्ती	1516, 30.04.2015	2	634.15	ए	ए, बी
4	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	226, 13.01.2015	1	1,081.00	ए	ए, बी
5	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	4868, 06.12.2014	1	833.26	ए	ए, बी
6	निर्माण खण्ड-1, आगरा	780, 05.02.2014	1	210.00	ए	ए, बी, सी
7	निर्माण खण्ड-1, बस्ती	5564, 25.10.2011	2	2,198.00	ए	ए, बी, सी
8	प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	3132, 03.04.2013	1	350.00	ए	ए, बी, सी
9	निर्माण खण्ड-2, आगरा	1439, 21.03.2015	2	225.00	बी	ए
10	प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	4667, 10.06.2013	3	365.00	बी	ए
11	प्रान्तीय खण्ड, झांसी	287, 10.04.2015	1	189.00	बी	ए
12	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	878, 24.11.2015	1	153.77	बी	ए
13	निर्माण खण्ड-1, आगरा	780, 05.02.2014	3	364.00	बी	ए, बी, सी
14	प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	3132, 03.04.2013	3	320.00	बी	ए, बी, सी
15	निर्माण खण्ड-1, बस्ती	552, 06.02.2013	2	276.00	बी एप्रोच रोड	ए, बी (ब्रिज)
16	निर्माण खण्ड-1, बस्ती	552, 06.02.2013	25	1,400.32	सी	ए, बी,
17	प्रान्तीय खण्ड, झांसी	283, 18.04.2012	2	118.06	सी	ए, बी,
18	निर्माण खण्ड-1, बस्ती	552, 06.02.2013	3	120.00	डी	ए, बी,
योग			54	9,487.56		

**परिशिष्ट 6.2**

**खण्डों द्वारा बिड दस्तावेजों में उल्लिखित विभिन्न मशीनें**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.1.1)

क्र० सं०	मशीन का नाम	प्रान्तीय खण्ड बदायूँ 56 एसई/ 15-16 अनुबंध की धनराशि ₹ 23.32 करोड़	निर्माण खण्ड-3 झांसी 34 एसई/ 12-13 अनुबंध की धनराशि ₹ 21.78 करोड़	निर्माण खण्ड मैनपुरी 36 एसई/15-16 अनुबंध की धनराशि ₹ 23.30 करोड़	निर्माण खण्ड-1 मुरादाबाद 11 एसई/ 13-14 अनुबंध की धनराशि ₹ 19.72 करोड़
1.	टार ब्वायलर	2	0	0	0
2.	मिक्सर	0	0	0	1
3.	कंक्रीट मिक्सर	2	0	0	1
4.	वाटर टैंकर	2	0	1	5
5.	डीजल रोड रोलर (8-10 टन कैपेसिटी)	3	0	2	2
6.	वाइब्रेट्री रोलर	1	0	1	1
7.	ट्रैक्टर	2	0	2	2
8.	ट्रक	1	0	0	0
9.	सेंसर पेवर के साथ हाट मिक्स प्लांट	2	0	1	1
10.	एयर कम्प्रेसर	2	0	1	1
11.	मैकेनिकल ब्रूम	2	0	1	1
12.	बिटुमिन डिस्ट्रिब्यूटर/मैकेनिकल स्प्रेअर	2	0	1	1
13.	टिपर	6	0	8	5
14.	जेसीबी	1	0	2	1
15.	पोकलैण्ड	1	0	0	0
16.	जनरेटर 250 केवी	0	0	0	0
17.	वेट मिक्स प्लांट	1	0	1	0
18.	मोटर ग्रेडर	0	0		0
19.	टैण्डम रोलर 6-8 टन	1	0	1	0
20.	स्वायल कम्पैक्टर	0	0	1	0
21.	कंक्रीट वायब्रेटर निडिल टाइप	2	0	0	0
22.	कंक्रीट वायब्रेटर सर्फेश टाइप	0	0	0	0
23.	कंक्रीट पम्प	0	0	1	0
24.	प्रेसट्रेसिंग जैक विद पम्प	0	0	0	0
25.	गउटिंग पम्प विद एगिटेटर	0	0	0	0
26.	फील्ड डेन्सिटी टेस्ट एप्रेन्टसकोर कटर एण्ड अन्य क्यूए/क्यूसी फील्ड एर्पटस	0	0	0	0
27.	फ्रन्ट इन्ड लोडर	1	0	1	0
28.	बैच मिक्स प्लांट	0	0	1	0
29.	पेवर फिनिशर	1	0	1	0
30.	डम्पर	0	0	0	0
31.	ग्रेडर	1	0	1	0
32.	हेड्रा	0	0	0	0
33.	एक्केवेटर	0	0	0	0
34.	बारबेन्डिंग मशीन	0	0	0	0
35.	बार कटिंग मशीन	0	0	0	0
36.	क्रेन विद केब	0	0	0	0
37.	रोटावेटर	0	0	0	0

**परिशिष्ट 6.3**

**प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निविदा का आमंत्रण  
(अधीक्षण अभियंता/अधिशाली अभियंता स्तर)**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.2.1)

(₹ करोड़ में)

खण्ड	अधीक्षण अभियंता स्तर			अधिशाली अभियंता स्तर		
	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत	प्रशा/वि स्वी के पूर्व एनआईटी आमंत्रण के दिनों की संख्या	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत	प्रशा/वि स्वी के पूर्व एनआईटी आमंत्रण के दिनों की संख्या
निर्माण खण्ड, मैनपुरी	2	26.77	67 से 146	1	0.16	45 तक
निर्माण खण्ड, सहारनपुर	5	93.88	9 से 114	0	0.00	-
निर्माण खण्ड, बदायूँ	5	215.61	5 से 66	0	0.00	-
निर्माण खण्ड-1, लखनऊ	2	23.62	58 से 94	0	0.00	-
निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद	4	121.89	49 से 132	0	0.00	-
निर्माण खण्ड-1, आगरा	3	151.93	14 से 48	4	1.51	16 तक
निर्माण खण्ड-1, बस्ती	4	79.02	1 से 101	1	0.34	20 तक
निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	2	32.42	25 से 65	5	1.39	92 तक
निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	3	61.25	5 से 206	4	1.29	149 तक
निर्माण खण्ड-2, लखनऊ	3	273.24	14 से 139	4	1.24	104 तक
निर्माण खण्ड-2, आगरा	2	31.25	114 से 139	1	0.37	247 तक
निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	1	7.34	197	5	1.24	203 तक
निर्माण खण्ड-3, झांसी	1	40.05	174	3	0.72	88 तक
निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	5	67.37	3 से 114	0	0.00	-
निर्माण खण्ड, बिल्डिंग, गोरखपुर	4	76.62	38 से 200	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, आगरा	5	198.80	16 से 565	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, बस्ती	2	117.72	37 से 39	3	0.98	157 तक
प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ	5	263.92	8 से 113	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	1	39.24	5	3	0.87	23 तक
प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	2	5.94	165 से 205	4	1.22	217 तक
प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ	3	129.73	84 से 191	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद	5	108.30	11 से 178	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	2	34.36	12 से 24	2	0.66	139 तक
प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	3	173.95	3 से 67	2	0.75	59 तक
प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा	3	114.09	7 से 85	4	1.45	84 तक
प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	2	40.55	19 से 194	3	1.12	40 तक
प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	3	86.33	27 से 136	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, झांसी	4	151.36	62 से 251	7	1.78	420 तक
प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	4	130.93	7 से 79	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	6	173.97	29 से 72	6	1.92	153 तक
निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर	0	0.00	-	4	1.06	88 तक
<b>महायोग</b>	<b>96</b>	<b>3,071.45</b>		<b>66</b>	<b>20.07</b>	



**परिशिष्ट 6.4**

**तकनीकी स्वीकृति के पूर्व निविदा का आमंत्रण  
(अधीक्षण अभियंता / अधिशासी अभियंता स्तर)**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.2.1)

(₹ करोड़ में)

खण्ड	अधीक्षण अभियंता स्तर			अधिशासी अभियंता स्तर		
	कार्यों की संख्या	कार्य की लागत	तकनीकी स्वी0 के पूर्व एनआईटी का आमंत्रण (दिनों में)	कार्यों की संख्या	कार्य की लागत	तकनीकी स्वी0 के पूर्व एनआईटी का आमंत्रण (दिनों में)
निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर	4	64.27	28 – 108	10	2.36	213 तक
निर्माण खण्ड-3, झांसी	1	32.89	71	0	0.00	-
निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी	3	235.45	42 – 52	1	0.39	26 तक
निर्माण खण्ड, मैनपुरी	5	87.76	49 – 154	2	0.27	54 तक
निर्माण खण्ड, सहारनपुर	5	93.88	41 – 148	0	0.00	-
निर्माण खण्ड, बदायूँ	5	215.61	48 – 75	0	0.00	-
निर्माण खण्ड-1, लखनऊ	4	40.87	25 – 112	0	0.00	-
निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद	5	130.03	30 – 158	0	0.00	-
निर्माण खण्ड-1, आगरा	6	215.89	7 – 145	4	1.51	90 तक
निर्माण खण्ड-1, बस्ती	7	127.07	39 – 872	4	1.33	292 तक
निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	4	118.27	26 – 193	7	1.78	195 तक
निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	6	78.84	22 – 250	6	2.01	154 तक
निर्माण खण्ड-2, लखनऊ	5	325.34	34 – 162	4	1.24	107 तक
निर्माण खण्ड-2, आगरा	4	56.51	18 – 176	1	0.37	277 तक
निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	4	39.65	2 – 132	14	4.14	520 तक
निर्माण खण्ड-3, झांसी	2	43.95	23 – 192	3	0.88	102 तक
निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	6	84.75	26 – 148	0	0.00	-
निर्माण खण्ड बिल्डिंग, गोरखपुर	4	76.62	87 – 310	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, आगरा	5	198.80	80 – 601	3	0.44	43 तक
प्रान्तीय खण्ड, बस्ती	5	140.17	57 – 288	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ	5	263.92	47 – 116	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	5	74.15	32 – 294	4	1.13	153 तक
प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	5	57.52	31 – 219	6	1.74	310 तक
प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ	3	81.03	12 – 110	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर	3	13.14	46 – 70	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद	5	108.30	28 – 181	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	3	47.56	11 – 32	2	0.66	140 तक
प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	5	237.02	17 – 70	4	1.41	59 तक
प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा	4	119.80	51 – 300	5	1.73	145 तक
प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	6	191.81	6 – 350	4	1.46	188 तक
प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	5	95.88	2 – 135	0	0.00	-
प्रान्तीय खण्ड, झांसी	6	163.59	41 – 269	9	2.58	431 तक
प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	5	150.43	19 – 92	4	4.47	170 तक
प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	6	173.97	32 – 97	6	1.96	60 तक
<b>महायोग</b>	<b>156</b>	<b>4,184.74</b>		<b>103</b>	<b>33.86</b>	

**परिशिष्ट 6.5**

**तकनीकी स्वीकृति के पूर्व वित्तीय बिडों का खोला जाना  
(अधीक्षण अभियंता स्तर)**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.2.2)

खण्ड	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में)	तकनीकी स्वीकृति के पूर्व वित्तीय बिड खोला जाना (दिनों के मध्य)
निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर	5	154.94	1 से 68
निर्माण खण्ड-3, झाँसी	1	32.89	30 से 30
निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी	2	234.23	1 से 2
निर्माण खण्ड मैनपुरी	2	26.77	2 से 40
निर्माण खण्ड सहारनपुर	5	93.88	2 से 69
निर्माण खण्ड बदायूँ	4	207.52	6 से 17
निर्माण खण्ड-1, लखनऊ	2	16.00	30 से 72
निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद	1	26.27	20
निर्माण खण्ड-1, आगरा	4	168.43	1 से 103
निर्माण खण्ड-1, बस्ती	7	127.07	3 से 823
निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	4	118.27	1 से 136
निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	5	75.91	4 से 35
निर्माण खण्ड-2, लखनऊ	5	325.34	6 से 131
निर्माण खण्ड-2, आगरा	3	48.27	33 से 70
निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	3	29.24	20 से 39
निर्माण खण्ड-3, झाँसी	1	40.05	12 से 12
निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	5	67.37	2 से 43
प्रान्तीय खण्ड, आगरा	3	185.41	5 से 173
प्रान्तीय खण्ड, बस्ती	1	115.55	242
प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ	4	209.20	1 से 66
प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	3	33.13	17 से 232
प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	3	10.63	8 से 139
प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ	3	129.73	35 से 201
प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर	2	8.77	8 से 20
प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद	1	24.19	40 तक
प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	2	34.36	2 से 10
प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	4	201.73	1 से 7
प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा	4	119.80	10 से 273
प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	3	116.67	2 से 230
प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	1	10.46	6 तक
प्रान्तीय खण्ड, झाँसी	6	163.59	10 से 106
प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	4	146.85	6 से 33
प्रान्तीय खण्ड, सम्भव	2	31.09	1 से 9
<b>महायोग</b>	<b>105</b>	<b>3,333.61</b>	

**परिशिष्ट 6.6**

**कार्य की लागत पुनरीक्षित किए जाने के कारण ठेकेदारों का वंचित होना**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.2.3)

क्र० सं०	खण्ड	अनुबंध की संख्या	अनुबंध का दिनांक	अनुबंध की लागत (₹ लाख में)	एनआईटी का संदर्भ	आगणित लागत (₹ लाख में)	एनआईटी के अनुसार कार्य की लागत (₹ लाख में)	एनआईटी में आमंत्रित ठेकेदार/कार्य की श्रेणी	कार्य की लागत पुनरीक्षित किए जाने पर ठेकेदार की मान्य श्रेणी
1	निर्माण खण्ड, बदार्यू	16/एसई	25.07.13	177.89	01.03.13	177.89	208.00	ए	बी
2	प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	51/एसई	17.03.15	72.05	09.02.15	74.44	83.00	बी	सी
3	निर्माण खण्ड-1, आगरा	17/एसई	16.07.15	260.57	05.02.14	263.2	85.00	बी	ए
4	निर्माण खण्ड-1, आगरा	10/एसई	31.05.14	314.36	05.02.14	318.98	180.00	बी	ए
5	निर्माण खण्ड-2, आगरा	18/एसई	04.01.13	170.82	30.10.12	171.87	210.00	ए	बी
6	प्रान्तीय खण्ड, झांसी	08/एसई	25.05.12	59.57	01.11.11	72.64	81.25	बी	सी
7	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	82/एसई	21.03.15	176.01	29.12.14	178.70	215.00	ए	बी
8	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	115/एसई	29.01.14	206.28	01.11.13	206.80	190.00	बी	ए
9	प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा	159/एसई	20.02.14	38.71	26.11.13	38.82	50.00	सी	डी
10	प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा	22/एसई	21.03.13	170.02	28.12.12	200.73	115.00	बी	ए
11	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	06/एसई	11.03.13	44.91	17.11.12	59.97	90.75	बी	सी
						<b>1,764.04</b>	<b>1,508.00</b>		

**परिशिष्ट 6.7**

**सीधे प्रेस को प्रेषित एनआईटी का विवरण**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.2.4)

क्र० सं०	खण्ड का नाम	अनुबंध संख्या	आगणित लागत (₹ में)	अनुबंध की लागत (₹ में)	निदेशक को प्रेषित पत्र का दिनांक
1	निर्माण खण्ड, बदायूँ	112/ईई/13-14	18,62,250.00	12,06,738.00	30.11.13
2	निर्माण खण्ड-2, आगरा	44/ईई/11-12	49,69,585.00	38,89,823.90	19.10.11
3	निर्माण खण्ड-2, आगरा	94/ईई/14-15	37,00,958.00	36,36,639.00	19.03.15
4	निर्माण खण्ड-2, आगरा	95/ईई/14-15	39,38,780.60	38,58,353.30	19.03.15
5	निर्माण खण्ड-2, आगरा	85/ईई/15-16	39,48,085.00	38,93,520.00	10.03.16
6	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	89/ईई/11-12	1,01,014.50	68,477.33	25.10.11
7	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	98/ईई/11-12	3,46,547.00	1,00,498.00	25.10.11
8	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	67/ईई/12-13	1,50,105.29	1,32,843.19	24.02.13
9	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	68/ईई/12-13	1,50,026.17	1,32,773.17	08.02.13
10	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	49/ईई/13-14	1,58,636.25	1,57,049.89	18.04.13
11	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	52/ईई/13-14	1,58,636.25	1,57,049.89	18.04.13
12	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	66/ईई/14-15	33,63,278.30	33,59,915.00	14.01.15
13	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	17/ईई/15-16	1,75,576.36	1,75,400.79	06.04.15
14	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	20/ईई/15-16	1,31,887.94	1,29,263.77	06.04.15
15	प्रान्तीय खण्ड, आगरा	45/ईई/14-15	4,15,192.00	4,15,192.00	07.02.15
16	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	05/ईई/13-14	17,23,009.00	17,22,147.00	16.03.13
17	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	11/ईई/12-13	27,51,900.00	24,24,424.00	19.12.11
18	निर्माण खण्ड-3, झांसी	76/ईई/14-15	32,26,480.00	27,42,508.00	30.12.14
19	निर्माण खण्ड-3, झांसी	22/ईई/15-16	31,45,559.00	3,62,380.00	03.08.15
20	निर्माण खण्ड मैनपुरी	42/ईई/14-15	8,98,900.00	8,98,720.00	02.06.14
21	निर्माण खण्ड मैनपुरी	45/ईई/15-16	3,24,885.00	3,24,885.00	11.03.16
22	निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी	60/ईई/11-12	5,16,600.00	4,28,778.00	15.10.11
23	प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर	92/ईई/15-16	51,94,267.00	39,47,643.00	25.08.15
<b>योग</b>			<b>4,13,52,158.66</b>	<b>3,41,65,022.23</b>	

**परिशिष्ट 6.8**

**जनपदवार अल्पकालीन निविदा के आधार पर गठित अनुबंधों का विवरण  
(अधीक्षण अभियंता/अधिकासी अभियन्ता स्तर)**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.2.5)

खण्ड का नाम	अधीक्षण अभियंता स्तर			अधिकासी अभियंता स्तर		
	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में)	अल्पकालीन निविदा (दिनों की संख्या)	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में)	अल्पकालीन निविदा (दिनों की संख्या)
निर्माण खण्ड (भवन) गोरखपुर	3	42.16	7 से 18	5	0.52	09से 27
निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर	4	137.71	7 से 26	7	1.71	15से 25
निर्माण खण्ड, सहारनपुर	7	91.09	10 से 21	4	1.41	12से 27
निर्माण खण्ड, बदायूँ	12	191.42	9 से 27	8	1.08	12से 26
निर्माण खण्ड-1, लखनऊ	6	56.94	7 से 29	7	1.84	02 से 28
निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद	4	35.60	8 से 23	5	1.36	06से 12
निर्माण खण्ड-1, आगरा	17	177.28	2 से 29	8	2.79	06से 25
निर्माण खण्ड-1, बस्ती	12	119.07	8 से 29	5	1.68	13से 17
निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	6	126.20	8 से 22	9	2.19	07से 28
निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	13	65.50	4 से 29	11	3.48	08से 26
निर्माण खण्ड-2, लखनऊ	8	299.77	6 से 20	6	1.96	09से 29
निर्माण खण्ड-2, आगरा	8	55.72	7 से 19	8	3.04	02से 25
निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	4	21.30	8 से 28	9	2.23	08से 18
निर्माण खण्ड-3, झांसी	4	32.12	8 से 22	9	1.67	08से 29
निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी	1	6.87	18 से 18	7	1.93	0से 25
निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	7	67.69	8 से 22	4	1.27	14से 27
निर्माण खण्ड मैनपुरी	4	71.56	5 से 19	4	0.80	05से 20
प्रान्तीय खण्ड, आगरा	4	63.11	6 से 22	8	1.02	03से 28
प्रान्तीय खण्ड, बस्ती	5	155.78	7 से 12	15	4.30	05से 27
प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ	5	172.02	9 से 22	3	0.69	06से 09
प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	6	46.79	1 से 14	7	1.83	0से 28
प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	4	34.48	12 से 27	6	1.66	11से 29
प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ	11	190.80	9 से 21	8	1.62	09से 28
प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर	7	91.46	10 से 19	3	1.19	03से 12
प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद	4	60.38	6 से 27	9	1.73	08से 19
प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	7	77.44	6 से 22	1	0.31	26 तक
प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	4	88.48	9 से 28	10	3.27	04से 12
प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा	6	104.84	7 से 26	5	1.87	09से 18
प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	11	53.06	9 से 23	16	3.44	07से 27
प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	19	98.35	4 से 27	5	1.59	06से 29
प्रान्तीय खण्ड, झांसी	14	130.98	11 से 29	8	2.32	01से 27
प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	24	222.88	11 से 25	2	0.68	17से 19
प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	21	142.11	9 से 29	8	2.93	06से 23
<b>महायोग</b>	<b>272</b>	<b>3330.96</b>		<b>230</b>	<b>61.41</b>	

**परिशिष्ट 7.1**  
**प्राप्त बिडों की संख्या**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 7.1)

(₹ करोड़ में)

जनपद	एकल बिड				दो बिड				तीन एवं उससे ऊपर के बिड			
	अधीक्षण अभियंता		अधिशाली अभियंता		अधीक्षण अभियंता		अधिशाली अभियंता		अधीक्षण अभियंता		अधिशाली अभियंता	
	अनुबंध विलेखों की संख्या	अनुबंध विलेखों की लागत	अनुबंध विलेखों की संख्या	अनुबंध विलेखों की लागत	अनुबंध विलेखों की संख्या	अनुबंध विलेखों की लागत	अनुबंध विलेखों की संख्या	अनुबंध विलेखों की लागत	अनुबंध विलेखों की संख्या	अनुबंध विलेखों की लागत	अनुबंध विलेखों की संख्या	अनुबंध विलेखों की लागत
आगरा	0	0	1	0.37	22	269.89	61	7.13	11	151.55	9	1.57
बस्ती	6	18.26	17	2.90	7	236.59	12	1.10	5	36.05	11	2.73
बदायूं	0	0	5	0.41	14	182.58	7	0.80	3	180.86	6	0.62
गाजीपुर	3	26.20	1	0.20	2	35.61	4	0.94	2	19.18	5	1.51
गोण्डा	3	6.34	1	0.40	4	159.21	7	1.75	1	1.70	2	0.38
गोरखपुर	5	45.46	8	2.49	14	144.25	18	2.58	7	73.31	10	1.60
हापुड़	0	0	4	0.04	17	102.80	21	1.77	5	47.31	2	0.66
हरदोई	1	4.35	0	0	5	71.67	4	1.17	0	0	4	1.07
झोंसी	0	0	2	0.36	18	314.20	23	1.14	5	34.39	15	3.40
लखनऊ	0	0	1	0.28	17	252.34	9	2.85	8	295.16	21	4.81
मैनपुरी	5	52.71	11	3.25	26	331.47	23	2.04	5	199.59	11	1.89
मीरजापुर	5	90.43	11	2.91	6	138.75	6	0.83	2	84.61	3	0.85
मुरादाबाद	0	0	6	1.18	7	152.68	8	1.31	11	145.24	4	0.75
सहारनपुर	0	0	7	2.17	7	87.34	17	2.75	15	172.98	6	0.29
सम्भल	0	0	1	0.01	24	177.11	20	3.38	1	0.49	1	0.36
सिद्धार्थनगर	2	30.07	3	0.99	3	92.82	6	0.47	1	3.30	3	0.75
उन्नाव	1	11.86	0	0	18	209.63	31	6.20	7	87.15	2	0.67
<b>योग</b>	<b>31</b>	<b>285.68</b>	<b>79</b>	<b>17.96</b>	<b>211</b>	<b>2,958.94</b>	<b>277</b>	<b>38.21</b>	<b>89</b>	<b>1,532.87</b>	<b>115</b>	<b>23.91</b>

**परिशिष्ट 7.2**  
**प्राप्त बिड एवं नेगोशिएसन का विवरण**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 7.2)

(₹ करोड़ में)

खण्ड का नाम	अनुबंध विलेखों की कुल संख्या	अनुबंध विलेखों की कुल लागत	सम्पन्न वार्ता के अनुसार अनुबंध विलेखों की संख्या	वार्ता के अनुसार अनुबंध विलेख की लागत
निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	7	68.46	3	42.51
निर्माण खण्ड, सहारनपुर	7	91.09	6	90.69
निर्माण खण्ड, बदायूँ	12	191.42	8	187.78
निर्माण खण्ड-1, लखनऊ	6	56.94	6	50.94
निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद	7	130.25	6	110.86
निर्माण खण्ड-1, आगरा	17	177.28	16	176.87
निर्माण खण्ड-1, बस्ती	12	119.07	7	109.86
निर्माण खण्ड-, सिद्धार्थनगर	6	126.20	4	120.83
निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	18	95.32	15	86.47
निर्माण खण्ड-2, लखनऊ	8	299.77	8	299.77
निर्माण खण्ड-2, मीरजापुर	5	138.89	1	80.43
निर्माण खण्ड-2, आगरा	10	73.73	10	73.73
निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	4	21.30	3	17.66
निर्माण खण्ड-3, झॉंसी	5	67.76	4	64.91
निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी	5	254.24	3	57.78
निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	7	67.69	5	66.96
निर्माण खण्ड, मैनपुरी	5	72.14	1	41.75
प्रान्तीय खण्ड, आगरा	6	170.44	5	166.33
प्रान्तीय खण्ड, बस्ती	6	171.83	3	153.08
प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ	5	172.02	5	172.02
प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	7	80.98	5	75.07
प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	6	76.03	4	69.93
प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ	11	190.80	11	190.80
प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर	8	174.90	2	4.50
प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद	11	167.66	2	49.70
प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	8	101.54	5	60.84
प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	8	213.32	6	136.45
प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा	8	167.25	6	164.17
प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	15	173.26	13	155.29
प्रान्तीय खण्ड, हापुड	22	150.12	19	145.14
प्रान्तीय खण्ड, झॉंसी	18	280.82	9	260.13
प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	26	257.39	13	231.59
प्रान्तीय खण्ड, संभल	25	177.60	20	172.03
<b>कुल योग</b>	<b>331</b>	<b>4,777.51</b>	<b>234</b>	<b>3,886.87</b>

**परिशिष्ट 7.3**

**निविदादाताओं के मध्य साँठ-गाँठ**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 7.5)

क्र० सं०	खण्ड का नाम	अनुबंध संख्या एवं दिनांक	आगणित लागत (₹ लाख में)	अनुबंध विलेख की लागत (₹लाख में)	निविदादाता का नाम	अभ्युक्ति
1	निर्माण खण्ड, बदायूँ	22/एसई 26-07-13	98.15	98.15	1- मो० सलीम 2- मेसर्स के०के० बिल्डर्स	मो० सलीम मेसर्स के०के० बिल्डर्स में भी साझेदार थे।
2	निर्माण खण्ड, बदायूँ	17/एसई 21-01-13	1,406.62	1,643.78	1- मेसर्स ए०बी० इन्फ्राजोन प्रा० लि० 2- मेसर्स अंकुल बिल्डर्स	श्रीमती साजिदा खान पत्नी श्री अरशद अली एवं श्रीमती नुजहर परवीन पत्नी श्री मुशरफ अली दोनों फर्म में साझेदार थीं।
3	निर्माण खण्ड, बदायूँ	12/एसई 01-07-15	46.18	46.14	1- मेसर्स श्री साई कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स गौड़ बिल्डर्स	श्री वीरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम भरोसे लाल दोनों फर्म में साझेदार थे।
4	प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	78/एसई 28-10-13	50.48	49.54	1- मेसर्स बी०पी० कन्स्ट्रक्शन 2- श्री श्रीपाल सिंह	मेसर्स बी०पी० कन्स्ट्रक्शन के साझेदार (श्री भूपेन्द्र सिंह एवं श्रीमती पुष्पा देवी) अन्य बोलीदाता के पुत्र एवं पत्नी थे।
5	प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	79/एसई 28-10-13	252.17	248.1	1- मेसर्स बी०पी० कन्स्ट्रक्शन 2- श्री श्रीपाल सिंह	मेसर्स बी०पी० कन्स्ट्रक्शन के साझेदार (श्री भूपेन्द्र सिंह एवं श्रीमती पुष्पा देवी) अन्य बोलीदाता के पुत्र एवं पत्नी थे।
6	प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	20/एसई 20-09-14	840.83	794.68	1- मेसर्स बी०पी० कन्स्ट्रक्शन 2- श्री श्रीपाल सिंह	मेसर्स बी०पी० कन्स्ट्रक्शन के साझेदार (श्री भूपेन्द्र सिंह एवं श्रीमती पुष्पा देवी) अन्य बोलीदाता (श्री श्रीपाल सिंह) के पुत्र एवं पत्नी थे।
7	प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	55/एसई 24-03-15	74.91	72.35	1- मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स एस०डी०एस० कन्स्ट्रक्शन	मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन के साझेदार (श्री सत्यपाल सिंह) अन्य बोलीदाता (मेसर्स एस०डी०एस० कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर श्री अमरीश कुमार) के पिता थे।
8	प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	47/एसई 17-03-15	42.55	41.21	1- मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स एस०डी०एस० कन्स्ट्रक्शन	मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन के साझेदार (श्री सत्यपाल सिंह) अन्य बोलीदाता (मेसर्स एस०डी०एस० कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर श्री अमरीश कुमार) के पिता थे।
9	प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	98/एसई 08-01-16	168.86	162.29	1- मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स एस०डी०एस० कन्स्ट्रक्शन	मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन के साझेदार (श्री सत्यपाल सिंह) अन्य बोलीदाता (मेसर्स एस०डी०एस० कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर श्री अमरीश कुमार) के पिता थे।
10	निर्माण खण्ड-1, आगरा	23/एसई 18-11-11	98.15	41.00	1- टी०वी०के० कम्पनी 2- मेसर्स महाशक्ति इण्टरप्राईजेज 3- मेसर्स श्रीराम कन्स्ट्रक्शन	श्री सुनील कुमार गर्ग मेसर्स टी०वी०के० कम्पनी के साझेदार थे एवं मेसर्स श्रीराम कन्स्ट्रक्शन तथा उनके पुत्र श्री तरुन गर्ग मेसर्स महाशक्ति इण्टरप्राईजेज के साझेदार थे।



परिशिष्ट

11	निर्माण खण्ड-2, आगरा	19/एसई 29-07-11	1,615.71	1,609.36	1-मेसर्स आइडियल बिल्डटेक प्रा0 लिमिटेड 2- मेसर्स पी0एन0सी0 कम्पनी	श्री चक्रेश कुमार जैन दोनों फर्म के साझेदार थे एवं श्री अभिनंदन जैन अन्य फर्म (श्री प्रदीप कुमार जैन) में साझेदार के पुत्र थे।
12	निर्माण खण्ड-2, आगरा	23/एसई 25-08-15	1,079.11	1,076.19	1- मेसर्स दाऊजी कन्स्ट्रक्शन 2- श्री राम सनेही वर्मा	श्री राम सनेही वर्मा पुत्र श्री छोटे लाल मेसर्स दाऊजी कन्स्ट्रक्शन में साझेदार थे।
13	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	126/एसई 24-12-13	1,091.21	1,090.67	1- मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन 2- मोर्थ इन्फास्ट्रक्चर	श्री ओमवीर सिंह दोनों फर्म में साझेदार थे तथा पत्नी (श्रीमती चंचल चौधरी) अन्य साझेदार श्री मुकेश चौधरी अन्य फर्म में साझेदार थी।
14	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	01/एसई 13-04-15	2,044.16	2,032.01	1- मेसर्स मोर्थ इन्फास्ट्रक्चर 2- मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन	श्री ओमवीर सिंह दोनों फर्म में साझेदार थे एवं पति (श्री मुकेश चौधरी) अन्य साझेदार श्रीमती चंचल चौधरी अन्य फर्म में साझेदार थे।
15	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	21/एसई 04-10-14	344.06	340.27	1-श्री ऋषिराज कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स ए0वी0 डेवलपर्स	श्रीमती वंदना यादव दोनों फर्म में साझेदार थीं।
16	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	40/एसई 21-07-15	45.39	45.37	1- मेसर्स विनोद कुमार 2- मेसर्स राम लाल	श्री राम लाल पुत्र श्री दिवारी लाल दोनों फर्म में साझेदार थे।
17	प्रान्तीय खण्ड, झाँसी	35/एसई 18-09-15	1,304.95	1,342.54	1- मेसर्स अजय प्रकाश एसोसिएट्स 2- मेसर्स बिहारी कन्स्ट्रक्शन	प्राधिकार पत्र एक ही व्यक्ति श्री बृजेश सिंह पुत्र श्री चंदन सिंह को दिया गया।
18	निर्माण खण्ड-1, बस्ती	25/एसई 23-12-11	1,423.06	897.05	1- मेसर्स साकेत निर्माण 2- मेसर्स अभ्युदय हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन	श्री अजंत कुमार अग्रेवाल (अभ्युदय हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन) के पुत्र और पत्नी मेसर्स साकेत निर्माण में साझेदार है एवं दोनों फर्म संयुक्त उद्यम में कार्य कर रही थी।
19	निर्माण खण्ड-1, बस्ती	24/एसई 14.03.11	823.76	822.11	1- मेसर्स साकेत निर्माण 2- मेसर्स अभ्युदय हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन 3- मेसर्स जी0एस0 एक्सप्रेस	श्री अजंत कुमार अग्रेवाल (अभ्युदय हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन) के पुत्र और पत्नी मेसर्स साकेत निर्माण में साझेदार है एवं दोनों फर्म संयुक्त उद्यम में कार्य कर रही थी।
20	निर्माण खण्ड-1, बस्ती	14/एसई 30.03.10	846.27	846.27	1- मेसर्स साकेत निर्माण 2- मेसर्स अभ्युदय हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन	श्री अजंत कुमार अग्रेवाल (अभ्युदय हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन) के पुत्र और पत्नी मेसर्स साकेत निर्माण में साझेदार है एवं दोनों फर्म संयुक्त उद्यम में कार्य कर रही थी।
21	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	27/एसई 04.11.11	895.82	863.82	1- मेसर्स रवि कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स विशाल कन्स्ट्रक्शन	श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री राम मेहर सिंह मेसर्स रवि कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर मेसर्स विशाल कन्स्ट्रक्शन में साझेदार हैं।
22	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	51/एसई 27.03.15	1,402.55	1,387.12	मेसर्स रवि कन्स्ट्रक्शन 2- मेसर्स विशाल कन्स्ट्रक्शन	श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री राम मेहर सिंह मेसर्स रवि कन्स्ट्रक्शन के प्रोपराईटर मेसर्स विशाल कन्स्ट्रक्शन में साझेदार हैं।
<b>योग</b>			<b>₹ 15,550.02 लाख अथवा ₹ 155.50 करोड़</b>			

**परिशिष्ट 8.1**

**बैंक गारण्टी पर कम स्टाम्प**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 8.2)

क्र० सं०	वर्ष	खण्ड	ठेका विलेख संख्या	अनुबंध की तिथि	ठेका विलेख की लागत (₹लाख में)	जमानत (₹ में)	बैंक गारण्टी पर स्टाम्प की आवश्यकता	₹10,000 की सीमा तक स्टाम्प	बैंक गारण्टी हेतु स्टाम्प (₹ में)	बैंक गारण्टी पर कम स्टाम्प (₹ में)
1	2012-13	निर्माण खण्ड, बदायूँ	15/एसई	19 जनवरी 2013	1,678.55	8592,800	42,965	10,000	100	9,900
2	2012-13	निर्माण खण्ड, बदायूँ	16/एसई	21 जनवरी 2013	4,513.02	2,27,77,000	1,13,885	10,000	100	9,900
3	2012-13	प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	04/एसई	05 दिसम्बर 2012	3,307.99	1,83,94,000	91,970	10,000	100	9,900
4	2013-14	प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	20/एसई	17 जुलाई 2013	88.15	9,20,000	4,600	4,600	100	4,500
5	2013-14	प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	18/एसई	03 जुलाई 2013	363.11	23,31,600	11,660	10,000	100	9,900
6	2012-13	प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	20/एसई	13 फरवरी 2013	942.06	49,20,250	24,600	10,000	100	9,900
7	2013-14	प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	27/एसई	26 सितम्बर 2013	1,077.04	73,62,500	36,815	10,000	100	9,900
8	2014-15	निर्माण खण्ड-2, आगरा	28/एसई	18 मार्च 2015	722.11	38,50,000	19,250	10,000	100	9,900
9	2014-15	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	24/एसई	18 नवम्बर 2014	2,512.72	1,28,00,000	64,000	10,000	100	9,900
10	2013-14	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	125/एसई	24 दिसम्बर 2013	3,016.57	1,52,85,000	76,425	10,000	100	9,900
11	2015-16	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	41/एसई	27 जुलाई 2015	187.18	11,50,000	5,750	5,750	100	5,650
12	2015-16	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	42/एसई	27 जुलाई 2015	233.23	13,70,000	6,850	6,850	100	6,750
13	2013-14	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	65/एसई	02 अगस्त 2013	53.25	7,33,000	3,665	3,665	100	3,565
14	2013-14	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	66/एसई	02 अगस्त 2013	48.64	6,87,000	3,435	3,435	100	3,335
15	2013-14	प्रान्तीय खण्ड, झॉसी	63/एसई	10 दिसम्बर 2013	1309	80,00,000	40,000	10,000	100	9,900
16	2012-13	प्रान्तीय खण्ड, झॉसी	28/एसई	24 जनवरी 2013	2,145.19	1,09,00,000	54,500	10,000	100	9,900
17	2014-15	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	58/एसई	24 फरवरी 2015	702.68	37,15,000	18,575	10,000	100	9,900
18	2011-12	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	123/एसई	22 दिसम्बर 2011	723.57	40,00,000	20,000	10,000	100	9,900

परिशिष्ट

19	2011-12	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	56/एसई	03 फरवरी 2011	1,614.92	83,00,000	41,500	10,000	100	9,900
20	2014-15	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	82/एसई	21 मार्च 2015	176.01	12,50,000	6,250	6,250	100	6,150
21	2014-15	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	57/एसई	24 फरवरी 2015	66.24	6,50,000	3,250	3,250	150	3,100
22	2014-15	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	83/एसई	21 मार्च 2015	207.32	14,46,000	7,230	7,230	100	7,130
23	2014-15	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	55/एसई	21 फरवरी 2015	59.1	4,96,000	2,480	2,480	100	2,380
24	2014-15	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	61/एसई	10 मार्च 2015	42.89	4,15,000	2,075	2,075	100	1,975
25	2014-15	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	12/एसई	29 मई 2014	187.56	11,50,000	5,750	5,750	100	5,650
26	2014-15	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	05/एसई	16 मई 2014	171.13	10,60,000	5,300	5,300	100	5,200
27	2013-14	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	199/एसई	24 फरवरी 2014	94.8	6,74,000	3,370	3,370	100	3,270
28	2015-16	निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थनगर	52/एसई	03 नवम्बर 2015	2,800.92	1,42,10,000	71,050	10,000	100	9,900
29	2011-12	प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर	43/एसई	23 दिसम्बर 2011	231.08	13,60,000	6,800	6,800	5,000	1,800
									योग	2,08,955

**परिशिष्ट 8.2**

**₹ 40 लाख से कम के कार्यों का टुकड़ों में बाँटा जाना**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 8.6)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	खण्ड का नाम	कार्यों की संख्या	अनुबंध विलेखों की संख्या	आगणित लागत का योग	अनुबंध विलेख लागत का योग
1	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, आगरा	2	4	1.64	1.52
2	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बस्ती	1	2	0.56	0.55
3	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बस्ती	35	72	7.20	6.96
4	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूँ	7	18	1.73	1.72
5	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर	98	257	8.60	9.60
6	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा	3	7	0.43	0.43
7	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर	16	37	5.42	5.09
8	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर	2	4	0.06	0.06
9	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरदोई	24	54	4.34	2.96
10	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, झाँसी	8	26	1.26	1.23
11	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	40	79	6.00	5.82
12	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	19	43	3.03	2.70
13	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	104	273	17.46	16.77
14	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर	30	70	4.34	3.94
15	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव	8	21	1.74	1.80
<b>महा योग</b>		<b>397</b>	<b>967</b>		<b>61.15</b>

**परिशिष्ट 8.3**

**स्वीकृति एवं निधियों के आंबटन के बिना कार्यों का निष्पादन**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 8.9)

क्र० सं०	खण्ड का नाम	विविध अग्रिम का मद संख्या	माह जिसमें लेन-देन किया गया	धनराशि (₹ लाख में)
1.	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूँ	24/48	07/1995, 10/1996, 11/1998 एवं 12/1998	30.59
2.	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूँ	-	06/1997 से 01/2007	33.46
3.	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद	59/70	09/1998	18.73
4.	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद	134	01/2004	4.61
5.	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आगरा	-	03/2004	6.06
6.	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी	2 फरवरी	11/2004 से 01/2014	41.07
7.	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी	1	09/2006	4.21
8.	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी	-	03/2000 से 03/2013	47.76
9.	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर	88/88	03/1997 से 03/2015	112.93
10.	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर	-	12/2001 से 11/2015 एवं 12/2015	130.07
11.	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बस्ती	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	15.86
12.	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बस्ती	-	8/2001 एवं 03/2015	157.15
13.	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, झाँसी	1,4 एवं 8	10/2004, 03/2008 एवं 06/2014	20.97
14.	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झाँसी	-	09/1987	97.87
15.	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव	52,113,129, 144 एवं 163	03/1989,02/1989, 02/2002, 06/2004, 03/2013, 12/2013 एवं 03/2014	47.3
16.	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव	-	12/2002, 0/2003, 02/2011 एवं 03/2011	44.17
17.	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हापुड़	-	07/2011	9.76
18.	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सम्भल	-	04/2011	9.85

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

19.	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर	156/157	05/2016	117.68
20.	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरदोई	159,208,230	11/1995,04/2014 एवं 11/2015	11.6
21.	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर	3	07/2007	9.13
22.	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा	-	01/1993	49.33
23	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	157/266, 182/394, 185/403	2/2001, 3/2007 एवं 6/2007	13.01
24	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	56/65, 57/66, 58/67, 59/68, 60/69, 61/70	12/1996, 03/1997, 11/1998, 11/1998, 11/1998, 10/2003	9.19
25	अधिशाली अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर	-	10/1990, 01/1991, 05/1991, 08/1992, 93/1993, 07/1993, 12/1993, 02/1994, 02/1995, 09/1995, 10/1995, 06/1996, 07/1996, 08/1996, 12/1996, 05/1997, 08/1997, 09/1997, 11/1997, 12/1997, 3/1998, 8/1998, 12/1998, 08/1999, 09/ 1999, 11/1999, 12/1999, 08/2000, 05/ 2001, 07/2001, 06/2003, 03/2005, 09/ 2006, 10/2006, 02/2008, 03/2014 एवं 03/2016	50.33
<b>योग</b>				<b>1,092.69</b>

**परिशिष्ट 8.4**  
**ठेकेदार द्वारा बीमा न कराया जाना**  
 (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 8.11)

क्र० सं०	जनपद	अनुबंध विलेखों की संख्या	अनुबंध विलेखों की लागत (₹ लाख में)	देय बीमा प्रीमियम (₹ लाख में)
1	आगरा	171	57,916.90	13.23
2	बस्ती	256	48,108.23	10.99
3	बदायूँ	174	77,226.83	17.63
4	गाजीपुर	146	23,872.69	5.45
5	गोण्डा	85	23,680.39	5.41
6	गोरखपुर	314	46,864.12	10.7
7	हापुड़	61	18,372.53	4.2
8	हरदोई	118	18,975.24	4.33
9	झाँसी	85	26,948.04	6.15
10	लखनऊ	307	1,05,629.7	24.12
11	मैनपुरी	227	80,554.46	18.39
12	मीरजापुर	185	26,616.51	6.08
13	मुरादाबाद	122	46,755.91	10.68
14	सहारनपुर	167	38,884.6	8.88
15	सम्भल	120	26,648.28	6.09
16	सिद्धार्थनगर	102	19,735.76	4.51
17	उन्नाव	312	62,121.64	14.19
	<b>योग</b>	<b>2952</b>		<b>171.03</b> अर्थात् ₹ 1.71 करोड़

**परिशिष्ट 8.5**

**सामग्रियों के क्रय में टी-3 का उपयोग न किया जाना**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 8.12)

क्र० सं०	खण्ड का नाम	माह का भुगतान	वाचर की संख्या	सामग्री का नाम	धनराशि (₹ लाख में)
1.	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	03/2014	10	गिट	9.77
		03/2016	10	गिट/स्टोन बैलास्ट	9.90
2.	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	03/2015	10	गिट	9.89
		03/2016	10	गिट	9.81
3.	निर्माण खण्ड-3, झॉसी	03/2013	02	गिट/स्टोन डस्ट	1.82
		03/2014	09	गिट/स्टोन डस्ट	8.87
		03/2015	11	गिट/स्टोन डस्ट	10.96
		03/2016	08	गिट/स्टोन डस्ट	7.93
4.	निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी	03/2014	10	गिट/स्टोन डस्ट	9.77
5.	निर्माण खण्ड,, मैनपुरी	03/2012	09	गिट/स्टोन डस्ट	3.06
		03/2013	10	गिट/स्टोन डस्ट	8.83
		03/2014	12	गिट/स्टोन डस्ट	11.64
		03/2016	10	गिट/स्टोन डस्ट	9.75
6.	प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	03/2014	04	गिट/स्टोन डस्ट	3.97
		03/2015	10	गिट/स्टोन डस्ट	9.97
		03/2016	10	गिट/स्टोन डस्ट	9.83
7.	निर्माण खण्ड-1, आगरा	03/2016	51	गिट/स्टोन डस्ट	49.16
		प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	03/2012	10	गिट/डाला डस्ट
	03/2013	10	गिट/डाला डस्ट	9.71	
	03/2014	09	गिट/डाला डस्ट	8.77	
	03/2015	10	गिट/डाला डस्ट	9.58	
	03/2016	07	गिट/डाला डस्ट	6.91	
8.	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	03/2012	09	गिट/स्टोन डस्ट/बैलास्ट	8.36
		03/2013	10	गिट/स्टोन डस्ट	9.72
		03/2014	03	गिट/स्टोन डस्ट	2.95
		03/2016	10	गिट/स्टोन डस्ट	9.24
योग			274		259.86 अथवा ₹ 2.60 करोड़



**परिशिष्ट 9.1**  
**ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिम का भुगतान**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 9.1)

क्र० सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	अनुबंध विलेख संख्या	अनुबंध विलेख की तिथि	अनुबंध की लागत (₹ करोड़ में)	वाउचर संख्या एवं दिनांक	सिक्वोर्ड अग्रिम (₹ लाख में)
1	आगरा	निर्माण खण्ड-2, आगरा	51/एसई	30.03.2013	89.30	63, 31.10.15	275.00
2	आगरा	निर्माण खण्ड-2, आगरा	37/एसई	07.10.2013	17.28	135, 31.03.14	20.00
3	बदायूँ	निर्माण खण्ड, बदायूँ	16/एसई	21.01.2013	45.13	363, 31.03.13	163.00
4	बदायूँ	निर्माण खण्ड, बदायूँ	16/एसई	21.01.2013	-तदैव-	94, 30.09.13	68.36
5	बदायूँ	निर्माण खण्ड, बदायूँ	16/एसई	21.01.2013	-तदैव-	279, 30.03.14	137.00
6	बदायूँ	निर्माण खण्ड, बदायूँ	16/एसई	21.01.2013	-तदैव-	113, 31.12.14	228.00
7	बदायूँ	निर्माण खण्ड, बदायूँ	15/एसई	19.01.2013	16.79	23, 12.09.13	110.40
8	गोरखपुर	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	95/एसई	19.12.2013	63.17	247, 26.5.14	349.86
9	सम्भल	प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	26/एसई	22.12.2011	25.43	अनुपलब्ध	40.50
10	बदायूँ	प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ	11/एसई	14.01.2013	24.11	92, 28.1.13	118.55
11	मुरादाबाद	प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद	25/एसई	21.12.2011	20.67	14, 10.7.12	123.50
12	मुरादाबाद	निर्माण खण्ड-1, मुरादाबाद	11/एसई	11.05.2013	19.39	अनुपलब्ध	191.54
13	आगरा	प्रान्तीय खण्ड, आगरा	26/ एसई एवं 28/एसई	15.12.2011	6.31	132, 28.12.11 142, 28.1.12	100.00
14	आगरा	प्रान्तीय खण्ड, आगरा	12/एसई	22.10.2012	3.01	112, 30.10.12	74.41
15	आगरा	प्रान्तीय खण्ड, आगरा	38/एसई	15.12.2015	51.12	207, 30.3.16 एवं 03, 25.4.16	291.00
16	मैनपुरी	निर्माण खण्ड, मैनपुरी	06/एसई	04.11.2011	0.86	12, 5.6.12	2.39
17	मैनपुरी	निर्माण खण्ड, मैनपुरी	41/एसई	26.03.2015	0.59	231, 31.3.15	14.60
18	मैनपुरी	निर्माण खण्ड, मैनपुरी	36/एसई	21.07.2015	22.60	69, 30.7.15	100.00
19	हरदोई	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	16/एसई	21.01.2013	37.19	135, 26.03.13	502.43
20	सहारनपुर	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	54/एसई	29.09.2011	25.75	111, 29.08.13	48.37
21	सहारनपुर	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	54/एसई	29.09.2011	-तदैव-	51, 30.01.14	61
22	सहारनपुर	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	06/एसई	11.03.2013	0.45	140, 31.03.13	4.68
23	सहारनपुर	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	04/एसई	15.06.2015	10.21	81, 29.06.15	40
24	सहारनपुर	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	55/एसई	29.09.2011	24.36	47, 29.10.14	209.86
25	सहारनपुर	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	55/एसई	29.09.2011	-तदैव-	71, 30.09.15	190
26	सहारनपुर	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	51/एसई	27.03.2015	13.81	258, 31.03.15	31.31
27	सहारनपुर	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	51/एसई	27.03.2015	-तदैव-	17, 21.08.15	8.65
28	लखनऊ	निर्माण खण्ड-1, लखनऊ	60/एसई	17.12.2011	12.02	55, 27.01.12	110.00
<b>योग</b>							<b>3,614.41</b>

**परिशिष्ट 9.2**

**ठेकेदारों को अनधिकृत अग्रिमों का भुगतान**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 9.2)

क्र० सं०	खण्ड का नाम	अनुबंध विलेख संख्या	अनुबंध विलेख का दिनांक	अनुबंध की लागत (₹करोड़ में)	वाउचर संख्या एवं दिनांक	अग्रिम भुगतान (₹लाख में)
1	निर्माण खण्ड-2, आगरा	19/एसई	29.07.2011	16.09	अनुपलब्ध	80.37
2	प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	04/एसई	05.12.2012	33.08	04, 07.02.13	111.31
3	प्रान्तीय खण्ड, हापुड़	04/एसई	05.12.2012	-तदैव-	01, 07.05.13	519.00
4	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	13/एसई	12.06.2013	16.57	31, 20.01.14 एवं 78, 26.02.14	410.53
5	प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	98/एसई	30.03.2015	66.98	02, 10/9/15	856.75
6	निर्माण खण्ड, मैनपुरी	29/एसई	25.03.2013	41.75	अनुपलब्ध	304.63
7	निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी	32/एसई	29.03.2013	195.74	10, 13-03/16	1,636.72
8	निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी	27/एसई	27.11.2014	49.51	44, 24.02.16	605.00
9	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	95/एसई	19.12.2013	63.17	86, 20.08.14	302.01
10	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	95/एसई	19.12.2013	63.17	20, 26.09.14	418.65
11	निर्माण खण्ड-1, बस्ती	35/एसई	03.08.2015	4.06	407, 31.03.16	30.26
12	प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	65/एसई	17.12.2011	23.01	02, 09.07.13	149.15
12	प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	65/एसई	17.12.2011	-तदैव-	210, 31.03.14	23.99
12	प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	65/एसई	17.12.2011	-तदैव-	48, 17.06.14	101.00
13	प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	50/एसई	27.03.2015	2.38	11, 15.05.15	110.00
14	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	54/एसई	29.09.2011	25.75	51, 30.01.14	119.67
14	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	54/एसई	29.09.2011	-तदैव-	125, 31.03.14	116.82
15	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	29/एसई	21.10.2013	8.34	25, 22.10.13	83.30
16	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	04/एसई	15.06.2015	10.21	13, 07.11.15	200.00
16	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	04/एसई	15.06.2015	-तदैव-	04, 28.04.16	82.37
17	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	27/एसई	04.11.2015	8.64	73, 29.07.16	70.00
17	निर्माण खण्ड-3, सहारनपुर	27/एसई	04.11.2015	-तदैव-	10, 07.12.15	50.00
18	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	55/एसई	29.09.2011	24.36	56, 30.12.14	38.56
18	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	55/एसई	29.09.2011	-तदैव-	29, 13.03.15	47.75
18	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	55/एसई	29.09.2011	-तदैव-	141, 30.03.15	87.23
19	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	51/एसई	27.03.2015	13.81	07, 20.05.15	52.47
19	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	51/एसई	27.03.2015	-तदैव-	06, 14.07.15	5.97
19	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	51/एसई	27.03.2015	-तदैव-	02, 04.09.15	96.85
<b>योग</b>						<b>6,710.36</b>

**परिशिष्ट 9.3(अ)**  
**निष्पादित जनपद के अलावा अन्य गन्तव्य के उपलब्ध कराये गये**  
**एमएम-11 का विवरण**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 9.7.2)

खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	उपलब्ध कराये गये कुल एमएम-11 की संख्या	अन्य गन्तव्य के एमएम-11 की संख्या	अन्य गन्तव्य के उपलब्ध कराये गये एमएम-11 की प्रतिशतता
निर्माण खण्ड, बदायूँ	मेरठ बदायूँ रोड, एसएच-18 में किमी 163 से 208.955 तक का सुदृढीकरण	1,022	677	66
प्रान्तीय खण्ड, हापुड	दिल्ली-बरेली-लखनऊ रोड, अन्य जिला मार्ग (पुराना एसएच-24) का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण	342	210	61
प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	जिला मुख्यालय, सम्भल को फोर लेन से जोड़ने हेतु जिला मुख्यालय योजना के अंतर्गत मुरादाबाद सम्भल मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण, लम्बाई 35.71 किमी	362	125	35
निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	संडीला-रसूलाबाद-चकलवंशी (मुख्य जिला मार्ग-31) किमी 14 से 20 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	310	290	94
प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	श्री राम जानकी मार्ग एनएच-72 किमी 136 से 151 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	95	25	26
प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	लखौरा ओछा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	548	326	59
प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	एचपीसी रोड चैनेज 1.105 से 25.40 (मुख्य जिला मार्ग-43) का सुदृढीकरण	99	00	00
प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	उन्नाव कानपुर मार्ग (एसएच-58) फोन लेन एवं साईकिल ट्रैक/सर्विस लेन	438	366	84
प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सैदपुर देवचरनपुर धरवा से चोचकपुर मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण	148	80	54
निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	एनएच-28 के शहरी भाग (कि०मी० 13-14) कलेसर से नौशाद का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण	98	30	31
निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	गोरखपुर-देवरिया उपमार्ग (अन्य जिला मार्ग) (कि०मी० 13-14) का सुदृढीकरण	143	22	15
निर्माण खण्ड-1, लखनऊ	मलभरावन रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	133	03	02
निर्माण खण्ड-2, लखनऊ	लखनऊ नगराम निगोंहा का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	320	27	08
प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	फतेहपुर मुजफ्फराबाद कलसिया रोड किमी 27 से 47 तक का सुदृढीकरण	310	32	10
निर्माण खण्ड, सहारनपुर	ननौटा देवबंध मंगलोर रोड किमी 01 से 38 तक का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण	380	251	66
प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर	लुम्बनी दुद्धी मार्ग	94	00	00
<b>योग</b>		<b>4,842</b>	<b>2,464</b>	<b>51</b>

**परिशिष्ट 9.3(ब)**

**एमएम-11 की अनुपलब्धता के कारण रायल्टी की गणना**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 9.7.3)

मार्ग का नाम	खण्ड का नाम	मार्गों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों का विवरण एवं एमएम-11 की अनुपलब्धता में देय रायल्टी										
		स्टोन बैलास्ट (घन मीटर)	उपलब्ध एमएम-11 (घन मीटर)	स्टोन बैलास्ट की देय रायल्टी ₹ 68 प्रति घनमीटर की दर से (₹ लाख में)	ग्रिट (घन मीटर)	उपलब्ध एमएम-11 (घन मीटर)	ग्रिट की मात्रा जिसका एमएम-11 उपलब्ध नहीं कराया गया (घनमीटर)	ग्रिट की देय रायल्टी ₹ 72 प्रति घनमीटर की दरसे (₹लाख में)	सैण्ड एवं स्टोन डस्ट (घन मीटर)	उपलब्ध एमएम-11 (घन मीटर)	सैण्ड एवं स्टोन डस्ट जिसका एमएम-11 उपलब्ध नहीं कराया गया (घनमीटर)	सैण्ड / स्टोन डस्ट की देय रायल्टी ₹ 33 प्रति घनमीटर की दर से (₹लाख में)
मेरठ बदायूँ रोड का सुदृढीकरण, एसएच-18 में किमी 163 से 208.955	निर्माण खण्ड, बदायूँ	22,059	0	15.00	66,307	85,451	(-)19,144	(-)13.78	22,781	3,482	19,299	6.37
दिल्ली-बरेली-लखनऊ-हापुड रोड, अन्य जिला मार्ग (पुराना एसएच-24) का चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण	प्रान्तीय खण्ड, हापुड	8,166	0	5.55	42,514	572	41,942	30.20	7,000	192	6,808	2.25
जिला मुख्यालय, सम्भल को फोर लेन से जोड़ने हेतु जिला मुख्यालय योजना के अंतर्गत मुरादाबाद सम्भल रोड का चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण, लम्बाई 35.71 किमी	प्रान्तीय खण्ड, सम्भल	25,304	0	17.21	78,335	5,666	72,669	52.32	20,273	1,281	18,992	6.27
सण्डीला-रसूलाबाद-च कलवंशी (मुख्य जिला मार्ग-31) किमी 14 से 20 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	निर्माण खण्ड-1, उन्नाव	8,271	0	5.62	13,796	1,296	12,500	9.00	6,280	1,071	5,209	1.72
श्री राम जानकी मार्ग एनएच-72 किमी 136 से 151 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर	28,463	0	19.36	34,815	2,223	32,592	23.47	13,737	00	13,737	4.53
लखौरा ओछा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	प्रान्तीय खण्ड, मैनपुरी	14,104	0	9.59	30,787	8,801	21,986	15.83	11,668	42	11,626	3.84
उन्नाव कानपुर मार्ग (एसएच-58) फोन लेन एवं साईकिल ट्रैक/ सर्विस लेन	प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	44,962	0	30.57	72,686	2,733	69,953	50.37	29,653	222	29,431	9.71
एचपीसी रोड चैनेज 1. 105 से 25.40 (मुख्य जिला मार्ग-43) का सुदृढीकरण	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	12,409	0	8.44	38,120	848	37,272	26.84	12,832	336	12,496	4.12
सैदपुर देवचरनपुर धरवा से चोचकपुर रोड का चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	40,148	0	27.30	6,654	1,251	5,403	3.89	9,042	00	9,042	2.98
शहरी भाग के एनएच-28 (13-14) कलेसर से नौशाद का चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण	निर्माण खण्ड, भवन, गोरखपुर	11,946	0	8.12	31,457	1,429	30,028	21.62	9,767	14	9,753	3.22

परिशिष्ट

गोरखपुर-देवरिया उपमार्ग (अन्य जिला मार्ग) (13-14) का सुदृढीकरण	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर	3,360	0	2.29	9,323	2,664	6,659	4.79	3,394	00	3,394	1.12
ननौटा देवबंध मंगलोर रोड किमी 01 से 38 तक का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण	निर्माण खण्ड, सहारनपुर	755	0	0.51	38,747	4,290	34,457	24.81	1,491	830	661	0.22
फतेहपुर मुजफ्फराबाद कलसिया रोड किमी 27 से 47 तक का सुदृढीकरण	प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	17,376	0	11.82	57,682	1,648	56,034	4,0.34	14,078	44	14,034	4.63
मलमरावन रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	निर्माण खण्ड-1, लखनऊ	9,465	0	6.44	22,106	1,285	20,821	14.99	8,156	00	8,156	2.69
लखनऊ नगराम निगोहा का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	निर्माण खण्ड-2, लखनऊ	12,643	0	8.60	24,939	2,268	22,671	16.32	10,619	306	10,313	3.40
लुम्बनी दुद्धी मार्ग	प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर	7,242	0	4.92	6,677	2,044	4,633	3.34	1,544	00	1,544	0.51
<b>योग</b>		<b>2,66,673</b>	<b>0</b>	<b>181.34</b>	<b>5,74,945</b>	<b>1,24,469</b>	<b>4,69,620</b>	<b>324.35</b>	<b>1,82,315</b>	<b>7,820</b>	<b>1,74,495</b>	<b>57.58</b>
<b>कुल योग</b>	<b>₹ 563.27 लाख अथवा ₹ 5.63 करोड़</b>											
<b>रायल्टी के साथ पेनाल्टी की धनराशि (रायल्टी का पाँच गुना)</b>	<b>₹ 2,816.35 लाख अथवा ₹ 28.16 करोड़</b>											

**परिशिष्ट 9.3(स)**  
**कार्टेज की गणना का विवरण**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 9.7.5)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	निष्पादित कुल मात्रा (घनमीटर में)	लूज मात्रा से काम्पेक्टेड मात्रा का अनुपात	कार्य की काम्पेक्टेड मूल्य का कार्टेज (₹करोड़ में)	लूज मात्रा का कार्टेज (₹लाख में)
1	<b>ग्रेनुअल सब-बेस</b>	16,01,367		136.49	
	स्टोन बैलास्ट 53 एमएम से 26.5 एमएम 134.4/300		384/300		174.71
	26 एमएम से 4.75 एमएम 172.80/300				
	2.36 53 एमएम एवं कम 76.80/300				
2	<b>वेट मिक्स मैकडम</b>	22,27,385		193.99	
	22.4 एमएम से 45 एमएम 89.10/225		297/225		256.07
	22.4 एमएम से 2.36 एमएम 118.80/225				
	2.36 एमएम से 75 माईक्रोन 89.10/225				
3	<b>बिटुमिनस् मैकडम</b>	3,49,599		29.12	
	25 एमएम से 37.5 एमएम 43.51/205		333.61/205		47.39
	25 एमएम से 10 एमएम 116.04/205				
	10 एमएम से 05 एमएम 116.04/205				
	05 एमएम एवं कम 58.02/205				
4	<b>डेन्स बिटुमिनस् मैकडम</b>	7,03,942		67.33	
	25 एमएम से 10 एमएम 86.16/195		281.49/195		97.20
	10 एमएम से 05 एमएम 80.43/195				
	05 एमएम एवं कम 114.9/195				
	फीलर 0.028 घनमीटर				
5	<b>सेमी डेन्स बिटुमिनस् कंक्रीट</b>	3,49,755		15.28	
	9.5 एमएम से 4.75 एमएम 162.45/195		279.30/195		21.89
	4.75 एमएम एवं कम 116.85/195				
	फीलर 0.028 प्रति घनमीटर				
6	<b>बिटुमिनस् कंक्रीट</b>	2,81,437		26.02	
	13.2 एमएम से 10 एमएम 85.5/191		279.30/191		38.05
	10 एमएम से 05 एमएम 71.25/191				
	05 एमएम एवं कम 122.55/191				
	फीलर 0.029 प्रति घनमीटर				
7	<b>वाटर बाउण्ड मैकडम-I</b>	32,468		2.73	
	90 एमएम से 45 एमएम 435.60/360		536.4/360		4.06
	कोर्स सैण्ड 100.80/360				
8	<b>वाटर बाउण्ड मैकडम -II</b>	1,32,203		9.60	
	63 एमएम से 45 एमएम 435.60/360		511.4/360		13.64
	कोर्स सैण्ड 75.80/360				
9	<b>वाटर बाउण्ड मैकडम -III</b>	1,62,278		12.59	
	53 एमएम से 22.4 एमएम 435.60/360		526.80/360		18.42
	कोर्स सैण्ड 91.20/360				
10	<b>प्री-मिक्स कार्पेट</b>	8,14,352			1.91
	क्रस्ड स्टोन 13.2 एमएम से 5.66 एमएम 0.27 घनमीटर प्रति 10 वर्गमीटर				
11	<b>सील-कोट</b>	5,75,140			0.57
	6.77 एमएम 0.09 घनमीटर प्रति 10 वर्गमीटर				
<b>योग</b>					<b>673.91</b>

**परिशिष्ट 9.4**

**सिक्क्योरिटी कटौती को लोक निर्माण जमा में क्रेडिट न किया जाना**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 9.8)

क्र० सं०	जनपद	खण्ड	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
			माह के दौरान क्रेडिट	माह के दौरान डेबिट	माह के दौरान क्रेडिट	माह के दौरान डेबिट	माह के दौरान क्रेडिट	माह के दौरान डेबिट	माह के दौरान क्रेडिट	माह के दौरान डेबिट	माह के दौरान क्रेडिट	माह के दौरान डेबिट
1	बदायूँ	निर्माण खण्ड	54,00,540	19,58,400	21,02,100	66,94,847	64,20,274	62,49,341	62,99,963	11,24,342	26,97,400	68,20,014
2	हापुड़	प्रान्तीय खण्ड	2,05,000	0	0	2,05,000	0	0	92,42,485	95,124	1,29,78,003	1,06,12,848
3	सम्भल	प्रान्तीय खण्ड	8,30,472	3,25,000	22,56,569	3,12,748	1,37,52,451	1,46,26,827	4,58,84,282	3,67,21,738	1,89,36,148	1,78,06,491
4	आगरा	निर्माण खण्ड-1	26,08,460	21,71,953	4,74,258	5,22,072	65,76,109	19,68,243	56,65,348	36,97,420	2,67,44,964	1,79,85,373
5	आगरा	निर्माण खण्ड-2	0	4,41,000	41,800	0	0	0	0	0	2,46,11,709	2,19,92,781
6	मैनपुरी	प्रान्तीय खण्ड	0	0	0	0	0	0	8,05,95,369	7,96,59,832	6,08,90,884	4,84,11,036
7	गोरखपुर	प्रान्तीय खण्ड	5,95,16,089	1,76,96,810	40,19,697	2,64,97,652	1,03,36,965	25,56,858	90,76,334	99,77,687	3,95,14,038	1,50,33,004
8	बस्ती	निर्माण खण्ड-1	5,95,16,089	1,76,96,810	40,19,697	2,64,97,652	1,03,36,965	25,56,858	90,76,334	99,77,687	3,95,14,038	1,50,33,004
9	झाँसी	प्रान्तीय खण्ड	7,27,620	8,83,040	3,49,675	2,28,717	56,20,921	41,19,335	2,48,32,501	2,45,42,389	2,43,70,116	2,70,02,603
10	उन्नाव	निर्माण खण्ड-1	1,17,38,570	1,20,64,895	0	7,69,443	0	36,300	2,16,000	1,59,300	0	10,000
11	सिद्धार्थनगर	निर्माण खण्ड-1	63,73,489	17,18,791	13,18,422	52,06,927	2,58,61,662	91,31,412	1,67,95,141	1,07,65,059	1,40,41,543	2,83,74,338
12	गोण्डा	प्रान्तीय खण्ड	15,13,874	1,77,47,891	13,04,04,245	2,63,85,380	6,32,55,050	8,92,07,829	18,30,611	2,66,60,704	28,30,840	30,39,520
13	सहारनपुर	प्रान्तीय खण्ड	38,67,807	46,85,135	73,31,505	88,89,893	1,09,29,882	1,19,76,113	1,40,39,633	1,08,48,399	84,39,303	77,56,828
	सहारनपुर	निर्माण खण्ड-3	1,13,57,887	1,33,56,025	99,99,748	1,12,22,829	1,21,74,588	1,07,77,996	1,01,27,862	1,23,99,325	73,01,779	34,66,879
	सहारनपुर	निर्माण खण्ड	39,47,532	29,09,155	28,09,947	33,68,807	1,08,76,475	1,02,26,428	69,62,472	74,12,941	1,15,50,573	87,03,529
14	मीरजापुर	प्रान्तीय खण्ड	1,01,78,597	12,30,230	91,61,188	71,86,145	1,28,70,414	1,25,24,639	81,50,629	95,83,267	39,42,382	83,50,324
योग			17,77,82,026	9,48,85,135	17,42,88,851	12,39,88,112	18,90,11,756	17,59,58,179	24,87,94,964	24,36,25,214	29,83,63,720	24,03,98,572
कुल क्रेडिट ₹ 108.82 करोड़ एवं कुल डेबिट ₹ 87.88 करोड़												

**परिशिष्ट 10.1**

**सहायक अभियंता द्वारा अवर अभियंताओं के कार्यों की निगरानी**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 10.3 )

क्र० सं०	जनपद	खण्ड	वर्ष 2011-16 की अवधि में औसत कार्यभार	वर्ष 2011-16 की अवधि में उपलब्ध मानवशक्ति (पी.आई.पी.) का औसत		औसत कार्यभार		प्रति सहायक अभियंता पर अवर अभियंता का औसत
				सहायक अभियंता	अवर अभियंता	सहायक अभियंता	अवर अभियंता	
1	बदायूँ	प्रान्तीय खण्ड	109.61	2	18	54.81	6.09	9
		निर्माण खण्ड	84.93	3	20	28.31	4.25	6
2	मुरादाबाद	प्रान्तीय खण्ड	85.45	4	25	21.36	3.42	6
		निर्माण खण्ड-1	46.30	4	18	11.58	2.57	5
3	हापुड	प्रान्तीय खण्ड	49.36	4	24	12.34	2.06	6
4	सम्भल	प्रान्तीय खण्ड	94.47	5	17	18.89	5.56	3
5	आगरा	प्रान्तीय खण्ड	70.90	5	24	14.18	2.95	5
		निर्माण खण्ड-1	45.78	4	19	11.45	2.41	5
		निर्माण खण्ड-2	50.41	3	15	16.8	3.36	5
6	मैनपुरी	प्रान्तीय खण्ड	73.53	4	16	18.38	4.60	4
		निर्माण खण्ड	44.23	3	13	14.74	3.40	4
		निर्माण खण्ड-3	75.46	2	18	37.73	4.19	9
7	गोरखपुर	प्रान्तीय खण्ड	55.15	3	20	18.38	2.76	7
		निर्माण खण्ड (भवन)	51.51	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		निर्माण खण्ड-3	28.26	3	12	9.42	2.36	4
8	बस्ती	प्रान्तीय खण्ड	76.58	2	18	38.29	4.25	9
		निर्माण खण्ड-1	46.51	4	11	11.63	4.23	3
9	झाँसी	प्रान्तीय खण्ड	40.75	3	18	13.58	2.26	6
		निर्माण खण्ड-3	34.54	3	13	11.51	2.66	4
10	उन्नाव	प्रान्तीय खण्ड	81.46	4	21	20.37	3.88	5
		निर्माण खण्ड-1	51.60	4	23	12.9	2.24	6
11	गाजीपुर	प्रान्तीय खण्ड	46.55	2	11	23.28	4.23	6
12	हरदोई	प्रान्तीय खण्ड	41.76	3	16	13.92	2.61	5
13	सिद्धार्थनगर	निर्माण खण्ड-1	40.48	2	11	20.24	3.68	6
14	गोण्डा	प्रान्तीय खण्ड	37.63	3	13	12.54	2.89	4
15	सहारनपुर	प्रान्तीय खण्ड	29.18	3	15	9.73	1.95	5
		निर्माण खण्ड	24.22	3	17	8.07	1.42	6
		निर्माण खण्ड-3	49.85	4	18	12.46	2.77	5
16	मीरजापुर	प्रान्तीय खण्ड	34.69	3	24	11.56	1.45	8
		निर्माण खण्ड-2	49.08	4	21	12.27	2.34	5
17	लखनऊ	प्रान्तीय खण्ड	108.31	8	29	13.54	3.73	4
		निर्माण खण्ड-1	67.63	5	19	13.53	3.56	4
		निर्माण खण्ड-2	61.75	6	17	10.29	3.63	3



**परिशिष्ट 11.1**

**अस्वीकार्य आधार पर समय-वृद्धि की स्वीकृति**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.1.1)

क्र० सं०	जनपद	इकाई का नाम	अनुबंध विलेखों की संख्या	अस्वीकार्य आधार पर प्रकरणों की संख्या		कार्य पूर्णता में विलम्ब (दिनों में)		द्वारा स्वीकृत	देय अर्थदण्ड (₹ करोड़ में)	आरोपित अर्थदण्ड (₹ लाख में)	अर्थदण्ड (लिक्विडेटेड डेमेज) जिसकी कटौती होनी है (₹ करोड़ में)
				अनुबंध विलेखों की संख्या	अनुबंध विलेख की लागत (₹ करोड़ में)	से	तक				
1	आगरा	मुख्य अभियंता	23	19	36.48	110	726	मुख्य अभियंता	3.65	1.48	3.63
		अधीक्षण अभियंता	11	6	20.73	31	310	अधीक्षण अभियंता	2.07	0.00	2.07
2	बदायूँ	अधीक्षण अभियंता	49	42	17.46	22	665	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता	0.95	0.56	0.95
3	बरेली	मुख्य अभियंता	18	10	33.50	96	450	मुख्य अभियंता	3.35	1.22	3.34
4	गोरखपुर	मुख्य अभियंता	22	18	18.08	51	527	मुख्य अभियंता	1.78	2.90	1.75
		अधीक्षण अभियंता	21	16	13.49	21	545	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता	1.31	2.21	1.28
5	झाँसी	मुख्य अभियंता	50	44	72.76	27	782	मुख्य अभियंता	7.17	2.44	7.14
		अधीक्षण अभियंता	10	10	2.17	77	498	अधीक्षण अभियंता	0.22	0.19	0.21
6	मुरादाबाद	मुख्य अभियंता	37	31	147.75	38	1221	मुख्य अभियंता	13.89	2.74	13.87
		अधीक्षण अभियंता	9	0	0	-	-	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता	0.00	0.00	0.00
7	मैनपुरी	अधीक्षण अभियंता	8	6	1.44	77	578	अधीक्षण अभियंता	0.14	0.00	0.14
8	मेरठ	मुख्य अभियंता	34	24	66.73	29	545	मुख्य अभियंता	6.59	5.41	6.54
9	मीरजापुर	अधीक्षण अभियंता	34	32	54.64	86	744	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता	5.46	2.15	5.44
10	उन्नाव	अधीक्षण अभियंता	15	9	4.20	21	488	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता	0.36	1.02	0.35
		अधीक्षण अभियंता	45	35	15.40	26	456	अधीक्षण अभियंता	1.43	0.92	1.42
11	वाराणसी	मुख्य अभियंता	35	35	33.13	31	1928	मुख्य अभियंता	3.26	10.13	3.16
		अधीक्षण अभियंता	21	18	9.76	36	574	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता	0.95	0.48	0.95
योग			442	355	547.72	21	1,928		52.58	33.85	52.24

**परिशिष्ट 11.2**

**कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के उपरान्त समय-वृद्धि की स्वीकृति में विलम्ब**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.1.2 )

क्र० सं०	जनपद	इकाई का नाम	अनुबंध विलेखों की संख्या	अनुबंध विलेख की लागत (₹ करोड़ में)	कार्य पूर्णता में विलम्ब (दिनों में)		समय-वृद्धि के लिए ठेकेदार के आवेदन की डायरी	द्वारा स्वीकृत	स्वीकृति में विलम्ब			
					से	तक			कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	अनुबंध विलेख की लागत (₹करोड़ में)	से	तक
1	आगरा	मुख्य अभियंता	23	59.33	110	801	16	मुख्य अभियंता	23	59.33	228	1,770
		अधीक्षण अभियंता	11	22.19	31	503	0	अधीक्षण अभियंता	9	21.72	233	1,111
2	बदायूँ	अधीक्षण अभियंता	49	70.43	22	699	24	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता	49	70.43	126	2,459
3	बरेली	मुख्य अभियंता	18	189.27	120	720	2	मुख्य अभियंता	18	189.27	365	1,952
4	गोरखपुर	मुख्य अभियंता	22	64.13	51	626	0	मुख्य अभियंता	22	64.13	44	1,227
		अधीक्षण अभियंता	21	14.61	21	605	0	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता	21	14.61	108	1,230
5	झाँसी	मुख्य अभियंता	50	24.42	61	848	17	मुख्य अभियंता	50	24.42	99	1,980
		अधीक्षण अभियंता	10	2.17	90	498	0	अधीक्षण अभियंता	10	2.17	138	1,065
6	मैनपुरी	अधीक्षण अभियंता	8	1.82	77	578	0	अधीक्षण अभियंता	8	1.82	499	951
7	मेरठ	मुख्य अभियंता	34	135.63	63	730	0	मुख्य अभियंता	34	135.63	140	1,287
8	मुरादाबाद	मुख्य अभियंता	37	177.36	38	1,221	0	मुख्य अभियंता	37	177.36	186	1,333
		अधीक्षण अभियंता	9	9.99	48	365	0	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता	9	9.99	139	632
9	मीरजापुर	अधीक्षण अभियंता	34	55.34	86	744	0	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता	34	55.34	202	1,365
10	उन्नाव	अधीक्षण अभियंता	15	8.00	21	488	15	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता	15	8.00	80	889
		अधीक्षण अभियंता	45	27.15	26	657	0	अधीक्षण अभियंता	45	27.15	99	2,650
11	वाराणसी	मुख्य अभियंता	35	33.13	83	1,928	0	मुख्य अभियंता	34	31.95	150	2,272
		अधीक्षण अभियंता	21	10.24	36	846	3	अधीक्षण अभियंता	20	10.09	107	1,336
योग / सीमा			442	905.21	21	1,928	77		438	903.41	44	2,650

**परिशिष्ट 11.3**  
**अपर्याप्त अर्थदण्ड आरोपित किया जाना**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.1.3)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	अनुबंध विलेखों की संख्या	अनुबंध विलेखों की लागत (₹ करोड़ में)	कार्य पूर्णता में विलम्ब (दिनों में)		प्रकरणों की संख्या जिसमें अपर्याप्त अर्थदण्ड स्वीकृत किया गया						प्रकरणों की संख्या जिसमें अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया (बगैर अर्थदण्ड के)			
					से	तक	अनुबंध विलेखों की संख्या	अनुबंध विलेख की लागत (₹ करोड़ में)	से (प्रतिशत में)	तक (प्रतिशत में)	देय अर्थदण्ड (₹ करोड़ में)	अधिरुपित अर्थदण्ड (₹ लाख में)	अर्थदण्ड (लिक्विडेटेड डेमेज) जिनकी कटौती होनी है (₹ करोड़ में)	अनुबंध विलेखों की संख्या	अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में)	अर्थदण्ड (लिक्विडेटेड डेमेज) जिसकी कटौती होनी है (₹ करोड़ में)
1	आगरा	अधीक्षण अभियंता	11	22.19	31	503	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	22.19	2.21
		मुख्य अभियंता	23	59.33	110	801	7	4.51	0.10	0.50	0.45	1.48	0.44	16	54.82	5.48
2	बदायूँ	अधीक्षण अभियंता	49	70.43	22	699	22	1.45	0.10	1.00	0.14	0.57	0.13	27	68.97	6.13
3	बरेली	मुख्य अभियंता	18	189.27	120	720	4	19.43	0.02	0.62	1.94	1.23	1.93	14	169.84	16.98
4	गोरखपुर	अधीक्षण अभियंता	21	14.61	21	605	18	13.34	0.10	1.00	1.29	2.47	1.27	3	1.28	0.13
		मुख्य अभियंता	22	64.13	51	626	14	11.62	0.05	1.00	1.15	3.17	1.12	8	52.51	5.22
5	झाँसी	मुख्य अभियंता	50	24.42	61	848	13	35.90	0.10	1.00	3.59	29.20	3.30	37	53.09	5.31
		अधीक्षण अभियंता	10	2.17	90	498	5	0.60	0.01	2.00	0.06	0.28	0.06	5	1.57	0.16
6	मैनपुरी	अधीक्षण अभियंता	8	1.82	77	578	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	1.82	0.18
7	मेरठ	मुख्य अभियंता	34	135.63	63	730	20	123.61	0.008	1.00	12.36	7.02	12.29	14	12.02	1.20
8	मुरादाबाद	मुख्य अभियंता	37	177.36	38	1221	13	17.55	0.01	0.20	1.75	1.93	1.74	24	159.81	15.98
		अधीक्षण अभियंता	9	9.99	48	365	4	4.15	0.10	0.20	0.41	0.54	0.41	5	5.84	0.58
9	मीरजापुर	अधीक्षण अभियंता	34	55.34	86	744	24	4.25	0.25	1.00	0.43	2.15	0.40	10	51.09	5.11
10	उन्नाव	अधीक्षण अभियंता	15	8.00	21	488	11	3.48	0.15	0.50	0.35	1.42	0.33	4	4.52	0.44
		अधीक्षण अभियंता	45	27.15	26	657	16	2.94	0.01	2.00	0.29	1.01	0.28	29	24.21	2.42
11	वाराणसी	मुख्य अभियंता	35	33.13	83	1928	29	26.46	0.10	1.00	2.65	10.13	2.54	6	6.67	0.67
		अधीक्षण अभियंता	21	10.24	36	846	5	3.13	0.05	0.50	0.30	0.55	0.30	16	7.11	0.71
<b>योग/सीमा</b>			<b>442</b>	<b>905.21</b>	<b>21</b>	<b>1,928</b>	<b>205</b>	<b>272.42</b>	<b>0.01</b>	<b>2.00</b>	<b>27.16</b>	<b>63.15</b> अथवा <b>₹0.63 करोड़</b>	<b>26.54</b>	<b>237</b>	<b>697.36</b>	<b>68.91</b>

**परिशिष्ट 11.4**

**निधि की अनुपलब्धता पर समय-वृद्धि की स्वीकृति**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.1.4 )

क्र० सं०	जनपद	इकाई का नाम	अनुबंधों की कुल संख्या	निधि अनुपलब्धता के कारण प्रकरणों की संख्या (अनुबंधों की संख्या)	अनुबंधित लागत (₹ करोड़ में)	कार्य पूर्णता में विलम्ब (दिनों में)		द्वारा स्वीकृत
						से	तक	
1	आगरा	मुख्य अभियंता	23	9	30.28	46	728	मुख्य अभियंता
		अधीक्षण अभियंता	11	4	1.71	265	503	अधीक्षण अभियंता
2	बदायूँ	अधीक्षण अभियंता	49	8	53.64	102	699	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता
3	बरेली	मुख्य अभियंता	18	12	168.68	62	582	मुख्य अभियंता
4	गोरखपुर	मुख्य अभियंता	22	5	46.55	59	562	मुख्य अभियंता
		अधीक्षण अभियंता	21	6	9.97	179	558	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता
5	झाँसी	मुख्य अभियंता	50	14	22.44	14	686	मुख्य अभियंता
		अधीक्षण अभियंता	10	1	0.38	104	104	अधीक्षण अभियंता
6	मुरादाबाद	मुख्य अभियंता	37	8	57.03	108	761	मुख्य अभियंता
		अधीक्षण अभियंता	9	0	0.00	0	0	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता
7	मैनपुरी	अधीक्षण अभियंता	8	2	0.46	93	146	अधीक्षण अभियंता
8	मेरठ	मुख्य अभियंता	34	21	101.65	52	582	मुख्य अभियंता
9	मीरजापुर	अधीक्षण अभियंता	34	3	49.19	365	438	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता
10	उन्नाव	अधीक्षण अभियंता	15	6	3.80	90	457	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता
		अधीक्षण अभियंता	45	10	13.63	173	659	अधीक्षण अभियंता
11	वाराणसी	मुख्य अभियंता	35	4	2.94	158	620	मुख्य अभियंता
		अधीक्षण अभियंता	21	6	2.32	94	365	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता
<b>योग</b>			<b>442</b>	<b>119</b>	<b>564.67</b>	<b>14</b>	<b>761</b>	

**परिशिष्ट 11.5**  
**विभिन्नता की स्वीकृति में अनियमितता**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.2)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्षेत्र/वृत्त का नाम	अनुबंधों की संख्या	कार्य मदों की संख्या	मदों की अनुबंधित लागत	मदों की क्रियान्वित लागत	आधिक्य धनराशि	विभिन्नता प्रतिशत (सीमा में)	द्वारा स्वीकृत	विभिन्नता की सीमा 15 से 50 प्रतिशत	विभिन्नता की सीमा 50 से 100 प्रतिशत	विभिन्नता की सीमा 100 से 500 प्रतिशत	विभिन्नता की सीमा 500 प्रतिशत एवं अधिक	औसत विभिन्नता (प्रतिशत में)
1	आगरा	मुख्य अभियंता	10	51	15.48	21.26	7.45	17.18 से 2519.00	मुख्य अभियंता	15	11	19	6	56
2	बदायूँ	अधीक्षण अभियंता	5	10	0.28	0.52	0.25	20.18 से 203.20	अधीक्षण अभियंता	3	3	4	0	89
3	बरती	अधीक्षण अभियंता	3	3	0.14	0.20	0.06	31.4 से 322.44	अधीक्षण अभियंता	1	1	1	0	45
4	गोरखपुर	अधीक्षण अभियंता	9	42	1.16	2.26	1.09	21.94 से 576.88	मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता	23	12	7	1	95
5	झाँसी	अधीक्षण अभियंता	14	49	2.54	5.03	2.49	16 से 1467.07	अधीक्षण अभियंता	21	6	16	6	98
6		मुख्य अभियंता	5	22	0.98	1.30	0.32	20.53 से 438.76	मुख्य अभियंता	11	4	7	0	33
7	मैनपुरी	अधीक्षण अभियंता	10	32	0.45	1.09	0.64	22.22 से 1581.15	अधीक्षण अभियंता	9	9	11	3	144
8	मेरठ	मुख्य अभियंता	6	19	4.00	6.76	2.76	18.85 से 1944.8	मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता	8	4	5	2	69
9	मुरादाबाद	अधीक्षण अभियंता	8	24	0.81	1.25	0.44	27.63 से 347.33	मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता	12	5	7	0	55
10	मीरजापुर	अधीक्षण अभियंता	11	74	3.69	5.47	1.78	20.88 से 658.61	मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता	34	21	17	2	48
10	उन्नाव	अधीक्षण अभियंता	9	25	1.35	1.43	0.78	19.50 से 715.79	अधीक्षण अभियंता	9	4	10	2	58
11	वाराणसी	मुख्य अभियंता	8	20	4.63	6.15	1.96	23.00 से 290.57	मुख्य अभियंता	14	2	4	0	42
12		अधीक्षण अभियंता	7	26	0.10	0.22	0.12	26.46 से 497.11	अधीक्षण अभियंता	5	3	18	0	126
<b>जनपद (11)/योग</b>			<b>105</b>	<b>397</b>	<b>35.61</b>	<b>52.94</b>	<b>20.14</b>	<b>16.00 से 2519.00</b>		<b>165</b>	<b>85</b>	<b>126</b>	<b>22</b>	

### परिशिष्ट 11.6

अतिरिक्त मद का अनुबंध में प्रावधान न होना जबकि आगणन में प्रावधान था  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.3.1)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	जनपद	इकाई का नाम	अनुबंधों की संख्या	आगणित लागत	अनुबंधित लागत	अतिरिक्त मद की धनराशि
1	आगरा	मुख्य अभियंता	8	245.19	241.21	12.62
2		अधीक्षण अभियंता	4	213.16	121.31	2.56
3	बदायूं	अधीक्षण अभियंता	14	1.97	120.18	6.69
4	बस्ती	अधीक्षण अभियंता	5	2.93	2.99	1.69
5	बुलन्दशहर	अधीक्षण अभियंता	1	7.38	8.72	0.06
6	गोरखपुर	मुख्य अभियंता	5	6.66	4.87	1.27
7	झाँसी	अधीक्षण अभियंता	4	3.71	3.27	0.54
8	मैनपुरी	प्रान्तीय खण्ड	5	0.78	0.78	0.32
9	मुरादाबाद	अधीक्षण अभियंता	4	0.11	0.10	1.04
10	मीरजापुर	अधीक्षण अभियंता	10	13.63	10.55	1.84
11	सम्भल	प्रान्तीय खण्ड	7	1.22	1.04	0.31
12	उन्नाव	अधीक्षण अभियंता	14	38.28	38.25	2.10
13	वाराणसी	मुख्य अभियंता	7	0.00	0.00	3.70
14		अधीक्षण अभियंता	4	0.00	0.00	0.92
योग			92	535.02	553.27	35.66

### परिशिष्ट 11.7

अतिरिक्त मद का इस निर्माण कार्य से संबंधित न होना (अन्य निर्माण कार्य)  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.3.2)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	जनपद	इकाई का नाम	अनुबन्ध विलेखों की संख्या	आगणित लागत	अनुबंधित लागत	अतिरिक्त मद की धनराशि
1	आगरा	मुख्य अभियंता	1	2.35	2.35	0.44
2		अधीक्षण अभियंता	2	6.25	6.23	0.78
3	गोरखपुर	अधीक्षण अभियंता	1	0.56	0.56	0.26
4	झाँसी	अधीक्षण अभियंता	8	7.95	7.78	1.90
5	मैनपुरी	प्रान्तीय खण्ड	10	1.03	1.03	1.51
6	मीरजापुर	अधीक्षण अभियंता	4	2.65	2.42	1.10
7	उन्नाव	अधीक्षण अभियंता	1	9.41	9.27	0.54
योग			27	30.20	29.64	6.53

### परिशिष्ट 11.8

स्टोन बैलास्ट/सामग्री के स्थानान्तरण हेतु अतिरिक्त मद/अतिरिक्त भुगतान  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.3.3)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	जनपद	इकाई का नाम	अनुबंधों की संख्या	आगणित लागत	अनुबंधित लागत	अतिरिक्त मद की धनराशि
1	आगरा	मुख्य अभियंता	2	1.97	1.95	0.09
2	बस्ती	अधीक्षण अभियंता	23	16.83	16.79	0.80
3	गोरखपुर	मुख्य अभियंता	8	14.27	14.08	3.91
4		अधीक्षण अभियंता	17	11.06	10.22	0.80
5	मुरादाबाद	अधीक्षण अभियंता	1	0.00	0.00	0.11
6	मीरजापुर	अधीक्षण अभियंता	1	1.29	0.74	0.03
7	उन्नाव	अधीक्षण अभियंता	1	0.59	0.59	0.07
योग			53	46.01	44.37	5.81

**परिशिष्ट 11.9**

**बिना स्वीकृति के अतिरिक्त मद का भुगतान**

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 11.3.4)

क्र० सं०	खण्ड का नाम	वर्ष	अनुबंधों की संख्या	सम्पादित अतिरिक्त मद की धनराशि (₹ करोड़ में)	अनुबंधित लागत की तुलना में अतिरिक्त मद के प्रतिशत की सीमा	
1	प्रान्तीय खण्ड, आगरा	2011-12	12	1.77	3.28 से 506.65	
		2012-13	16	3.40	1.46 से 553.13	
		2013-14	17	3.60	18.35 से 531.50	
		2014-15	10	1.43	3.50 से 817.51	
		2015-16	16	2.64	9.12 से 1,035.94	
2	प्रान्तीय खण्ड, बस्ती	2011-12	10	1.18	7.30 से 460.36	
		2012-13	1	0.05	195.33	
		2013-14	17	2.94	4.82 से 4,056.22	
		2014-15	14	2.19	2.09 से 444.97	
		2015-16	14	0.87	6.50 से 159.17	
3	प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ	2011-12	6	0.44	19.64 से 1,867.79	
		2012-13	22	0.78	2.95 से 1,315.59	
		2013-14	14	1.10	107.53 से 1,147.38	
		2014-15	15	2.29	119.16 से 1,123.13	
		2015-16	9	2.02	132.05 से 2,264.62	
4	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	2011-12	10	0.51	149.88 से 150.48	
		2012-13	66	2.77	19.64 से 2,685.15	
		2013-14	7	0.27	24.44 से 352.16	
		2014-15	11	0.91	9.45 से 72.12	
		2015-16	6	0.16	0.31 से 176.65	
5	निर्माण खण्ड-III, गोरखपुर	2011-12	11	1.24	17.47	
		2012-13	10	0.44	50.68 से 669.50	
		2015-16	2	0.13	50.68	
	निर्माण खण्ड (भवन), गोरखपुर	2011-12	12	1.38	6.69 से 1,148.39	
		2012-13	5	0.35	2.32 से 106.87	
		2013-14	6	0.25	8.67 से 38.35	
		2014-15	7	0.38	3.43 से 104.45	
		2015-16	20	1.85	2.79 से 134.91	
	6	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	2011-12	11	1.47	3.10 से 576.39
			2012-13	8	0.75	3.19 से 478.34
2013-14			1	0.17	40.56	
2014-15			3	0.26	6.87 से 14.77	
2015-16			2	0.26	2.28 से 6.99	
7	निर्माण खण्ड-III, लखनऊ	2013-14	4	0.12	5.33 से 14.22	
		2014-15	6	0.41	2.78 से 35.72	
		2015-16	12	0.96	7.43 से 241.95	
8	प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ	2011-12	7	0.85	10.61 से 208.61	
		2012-13	7	0.56	1.61 से 156.06	
		2013-14	10	6.51	0.47 से 72.72	
		2014-15	9	1.43	2.17 से 232.97	
		2015-16	14	4.35	10.79 से 323.51	

	निर्माण खण्ड-I, लखनऊ	2011-12	7	1.10	5.69 से 880.12
		2012-13	8	0.48	15.82 से 170.00
		2013-14	8	0.29	8.03 से 121.58
		2014-15	12	0.85	1.24 से 282.81
		2015-16	34	4.20	10.04 से 624.74
	निर्माण खण्ड-II, लखनऊ	2011-12	5	0.28	4.20 से 226.45
		2012-13	7	0.31	5.01 से 147.47
		2013-14	1	0.04	21.18
		2014-15	7	0.57	1.96 से 295.66
		2015-16	17	2.06	0.20 से 827.35
9	निर्माण खण्ड, मैनपुरी	2011-12	6	0.24	15.43 से 100.91
		2012-13	9	0.39	4.77 से 504.53
		2013-14	4	15.79	1.20 से 34.82
		2014-15	22	1.97	5.18 से 599.95
		2015-16	13	2.35	9.16 से 1,036.73
	निर्माण खण्ड-III, मैनपुरी	2011-12	4	0.20	5.94 से 17.20
		2013-14	4	0.54	28.25 से 277.54
10	प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर	2013-14	9	0.02	19.39 से 3,753.53
		2014-15	3	0.61	51.24 से 1,994.59
		2015-16	10	1.50	24.98 से 5,280.65
	निर्माण खण्ड-II, मीरजापुर	2011-12	10	0.94	21.98 से 1,105.84
		2012-13	2	0.03	7.59 से 53.44
		2013-14	2	0.11	23.64 से 494.96
		2014-15	4	0.09	5.08 से 24.85
		2015-16	25	2.94	2.47 से 4,842.99
11	प्रान्तीय खण्ड, मुरादाबाद	2011-12	1	0.06	22.12
		2012-13	4	0.18	20.11 से 913.59
		2013-14	4	0.29	4.15 से 101.88
		2014-15	18	1.85	0.33 से 290.06
		2015-16	6	0.21	1.43 से 338.50
	निर्माण खण्ड, मुरादाबाद	2011-12	3	0.04	1.17 से 101.78
		2012-13	2	0.09	21.42 से 149.32
		2014-15	4	3.07	24.70 से 67.33
2015-16	7	0.50	13.34 से 97.13		
12	प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर	2014-15	2	0.54	133.16 से 172.41
		2015-16	15	4.23	4.00 से 4,065.26
	निर्माण खण्ड-III, सहारनपुर	2011-12	3	7.96	2.6 से 19.42
		2012-13	1	0.01	1.56
		2014-15	2	0.32	1.55 से 3,279.79
		2015-16	6	8.07	25.67 से 566.49
13	प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	2011-12	19	1.62	1.31 से 2,408.40
		2012-13	13	0.89	5.86 से 1,913.41
		2013-14	7	0.38	4.58 से 76.57
		2014-15	13	3.66	2.20 से 1,409.64
		2015-16	23	1.32	7.58 से 200.44
<b>20 खण्ड</b>		<b>योग</b>	<b>846</b>	<b>128.63</b>	<b>0.20 प्रतिशत से 5,280.65</b>